वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

श्रमेव जयते

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा – 201 301
उत्तर प्रदेश

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा – 201 301 द्वारा प्रकाशित

प्रकाशन वर्ष : 2013

प्रतियां : 150

मुद्रक : चंदु प्रेस, डी–97, शकरपुर, दिल्ली–110 092

अनुक्रमणिका

- संस्थान का अधिदेश 1
- संस्थान की संरचना 2
- अनुसंधान 6
- शिक्षा और प्रशिक्षण 51
- प्रकाशन 67
- एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केन्द 69
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 71
- कर्मचारियों की संख्या 73
- फैकल्टी 74
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा 2011–12 75

संस्थान का विज़न और मिशन

विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य संबंधों और कार्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- *कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना*
- *श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना*
- *वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना*
- *विश्व प्रसिद्ध ऐसे संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।*

संस्थान का अधिदेश

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और अधिदेश

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना
   - क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
   - ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
   - ग. परामर्श और
   - घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना और

(vii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सांसदों, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों मे उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों के बीच से गठित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन–प्रति–दिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद् का गठन

1. श्री मल्लिकार्जुन खरगे — अध्यक्ष
   केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री,
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली-110001

केन्द्र सरकार के छः प्रतिनिधि

2. डॉ. मृत्युंजय सारंगी — उपाध्यक्ष
   सचिव, (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

3. श्री रवि माथुर — सदस्य
   अपर सचिव,
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

4. श्री पी.के. पुजारी — सदस्य
   अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली-110001

5. श्री ए.सी. पाण्डे — सदस्य
संयुक्त सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली

6. श्रीमती विभा पुरी दास — सदस्य
सचिव,
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

7. श्री के. एन. पाठक — सदस्य
संयुक्त सलाहकार (एलईएम),
सलाहकार (श्रम एवं रोजगार),
योजना आयोग,
नई दिल्ली-110001

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

8. डॉ. सुभाष शर्मा — सदस्य
अध्यक्ष, पंजाब शाखा, आईएनटीयूसी,
74-एसएफ, सरस्वती विहार, कपूरथला रोड़,
जालंधर-144008 (पंजाब)

9. श्री बी. सुरेन्द्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ,
केशावर कुदिल,
5 रंगासायी स्ट्रीट
पेराम्बूर, चेन्नई-600011

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

10. श्री विजय पुरी — सदस्य
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
लघु विनिर्माता मंच, गुड़गांव,
एफ-53, लाडो सराय,
एम. बी. रोड़,
नई दिल्ली

11. श्री के.सी. मेहरा — सदस्य
आवासी निदेशक (कार्पोरेट),
शापूरजी पलौंजी एण्ड कं. लि.
C-81, साउथ एक्टेंशन पार्ट-II
नई दिल्ली-110049

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में अथवा उनसे संबंधित क्षेत्रों में असाधारण सहयोग किया है

12. श्री एम.ए. अजीम — सदस्य
अजीम प्लेस,
गुलबर्गा शिक्षण न्यास,
नेहरू गंज एरिया,
गुलबर्गा-585 104 (कर्नाटक)

13. श्री एम.वी. शशिकुमारन नायर — सदस्य
राज श्री, मनक्कड़,
स्थामकोटा पी ओ
कोल्लाम जिला (केरल)

14. डा. मुरारी लाल — सदस्य
निवासी-359, पॉकेट V, फेज- I
मयूर विहार, नई दिल्ली

15. श्री जितेन्द्र सिंह — सदस्य
सुपुत्र स्व. श्री भोलेन्द्र सिंह,
निवासी ए-64, आवास विकास कालोनी,
सूरज कुंड
गोरखपुर (उ.प्र.)

दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक–एक)

16. डा. विनय कुमार पाण्डे — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
143, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली

17. श्री राम चन्द्र खुंटिया — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
26, डॉ. आर.पी. रोड,
नई दिल्ली-110001

अनुसंधान संस्थान

18. श्री वारेश सिन्हा, आईएएस — सदस्य
महानिदेशक,
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव-इन रोड़, मेम नगर
अहमदाबाद-380 062 (गुजरात)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रतिनिधि

19. श्री वी.पी. यजुर्वेदी — सदस्य–सचिव
महानिदेशक,
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर-24, नौएडा-201 301,
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का केन्द्रीय स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है। परन्तु इन कार्यकलापों के केन्द्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है;

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति से अधिक जटिल होती जा रही हैं। इससे पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने तीव्र और श्रम एवं रोजगार को प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और श्रम की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान संबंधी रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिए। इससे केवल यह सुनिश्चित नहीं होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केन्द्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उप्रेरक तत्व होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलापों में अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के संदर्भ में समसामयिक श्रम की दुनिया के सामने उभरती चुनैतियों को केन्द्र बनाया गया है। अनुसंधान अध्ययन का उद्देश्य इस संबंध में सैद्धांतिक समझ बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक नीति निर्धारण के लिए जानकारी प्रदान करना है।

अनुसंधान के लिए अभिज्ञात मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रोजगार और बेराजगारी
- श्रमिक आप्रवास
- उत्तम कार्य
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर श्रम सूचना प्रणाली

अनुसंधान करने के अलावा, केन्द्र, श्रम पर अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं के कौशल को पैना बनाने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यह कार्य श्रम अनुसंधान में उभरते परिप्रेक्ष्य के लिए उपयोगी, नई और उचित अनुसंधान पद्धतियों का पाठ्यक्रम आयोजित करके किया जा रहा है।

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. दक्षिण एशिया से महिला कामगारों का खाड़ी देशों में उत्प्रवास

अन्तर्राष्ट्रीय उत्प्रवास में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों से खाड़ी क्षेत्र को महिला कामगारों के उत्प्रवास से संबंद्ध प्रक्रियाओं, परिणामों एवं समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन मुद्दों का महिलाओं के सुरक्षित उत्प्रवास को बढ़ाने एवं बनाए रखने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डालते हुए पांच भेजने वाले देशों बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका तथा छह प्राप्तकर्त्ता देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विस्तृत अध्ययन के जरिए विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन में दक्षिण एशिया से खाड़ी देशों को उत्प्रवास के सिंहावलोकन से इस क्षेत्र में गतिशीलता की पद्धतियों और अन्तर्राष्ट्रीय उत्प्रवास के संबंध में उनके अवस्थापन का विश्लेषण करना शामिल है। महिला प्रवासियों के स्वयं के अनुभवों के आधार पर अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्य में लगी होती हैं- यह उत्प्रवास चक्र के विभिन्न स्तरों पर उनकी असुरक्षिताओं को दर्शाता है। रिपोर्ट में महिलाओं के उत्प्रवास परिणामों में सुधार लाने में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर विभिन्न पणधारियों की भूमिकाओं एवं पहलों का भी पता लगाया गया है। यह नीति परिप्रेक्ष्यों को,

और दक्षिण एशिया से महिलाओं के उत्प्रवास के भविष्य से संबंधित संभावित निर्देशनों को उजागर करते हुए पूरी होती है। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषता पांच भेजने वाले देशों और छह प्राप्त करने वाले देशों की जनसांख्यिकी और उत्प्रवास विवरणों पर विस्तृत तथ्यों को दर्शाना है।

अध्ययन, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था।

(परियोजना निदेशक : डॉ. राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो
एवं डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

2. भारत में साफ–सफाई कर्मकारों की कार्यदशाओं का अध्ययन

इस अध्ययन को निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था:

- साफ-सफाई कर्मकारों की संख्या के उपलब्ध आकलनों को प्रलेखनबद्ध करना और भारत में राज्यवार और क्षेत्रवार विभाजन के आधार पर कुल साफ-सफाई कर्मकारों का पता लगाना;
- साफ-सफाई कर्मकारों की श्रेणियों की पहचान करना जो उनकी असुरक्षा के स्तर और उन्हें प्राप्त संरक्षण के प्रकारों पर आधारित हों;
- साफ-सफाई कर्मकारों के रोजगार और कार्यदशाओं, विशेष रूप से उनके कार्य घंटों की जांच, कार्य का ठेका, मजदूरी भुगतान, सामाजिक सुरक्षा के उपाय, स्वास्थ्य जोखिम, तथा उनको लगने वाली चोटों का गहन विश्लेषण करना। यह विश्लेषण साफ-सफाई कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में उनको राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध अधिकारों के आलोक में किया जाएगा;
- साफ-सफाई कर्मकारों और उनके आश्रितों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का विस्तृत अध्ययन और प्रलेखन;
- साफ-सफाई कर्मकारों को उपलब्ध करवाए गए प्रशिक्षण एवं कर्मकारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की गुणवता और उसके विस्तार का पता लगाना और उसकी जांच करना;
- ऐसी सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों की प्रभावशीलता का पता लगाना जो साफ सफाई कर्मकारों के जीवन स्तर और उनकी कार्यदशाओं में सुधार के लिए लागू की गई है;
- ऐसे संस्थानिक ढांचे का मूल्यांकन करना जो सामान्य रूप से कर्मकारों और विशेष रूप से साफ-सफाई कर्मकारों को उपलब्ध करवाया गया है;
- इस व्यवसाय में लगे कर्मकारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और कार्य दशाओं में सुधार के उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ऐसा अनुमान है कि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहने पर 2020 तक भारत में लगभग 3.7 मिलियन सफाई कामगारों की मांग होगी। इस मांग को कैसे पूरा किया जाए? अधिक से अधिक लोगों को सफाई कार्य की ओर आकर्षित करने के लिए यह नितांत महत्वपूर्ण है कि इस व्यवसाय से संबंधित

मौजूदा असुरक्षितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। ऐसे कुछ उपाय निम्नवत हो सकते हैं-

- सभी सफाई कामगारों को कार्य स्थल पर सभी प्रकार की संभावित शारीरिक क्षति के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाना।
- कार्य की प्रकृति के कारण सभी संभावित प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति सभी कामगारों को व्यापक एवं निवारक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना।
- विभिन्न प्रकार के गैसों, ठोस एवं द्रव्य अवशिष्टों के व्यवस्थापन एवं प्रबंधन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक उपकरणों को लाना ताकि ऐसे तत्वों को मानव अंग के सीधे स्पर्श को दूर किया जा सके जो नितांत रूप से मानव शरीर के लिए नुकसानदायक हैं।
- अन्य उद्योगों, जहाँ पर मैनुअल एवं कुशल श्रमिकों का समान कार्य हो, की तुलना में सफाई कर्मकारों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करना, ताकि सफाई कामगारों के रूप में काम कर रहे लोगों की आर्थिक स्थिति में वर्तमान स्थिति की तुलना में सुधार लाया जा सके। बेहतर आर्थिक स्थिति की कुंजी कई तरह के संबंद्ध लाभों, जैसे कि बेहतर शिक्षा, रहन-सहन, उच्च सम्मान में भाग लेना है और जो अन्ततः सामाजिक अन्तर को कम करेगा।
- समाज में सफाई कार्य के महत्व एवं सफाई कामगारों द्वारा समाज में स्वच्छता एवं स्वास्थ-विज्ञान को बनाए रखने में अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरे उनके प्रबंधन को बढ़ाने एवं एक शालीन एवं सम्मानित पदों के रूप में सफाई कार्य के संबंध में लोगों को मदद मिलेगी।
- कामगारों को सफाई कार्य के प्रति आकर्षित करने और उन्हें इसमें प्रतिधारित करने में दूसरा महत्वपूर्ण कारक उपयुक्त रोजगार गारण्टी एवं सामाजिक सुरक्षा है।
- माहौल पैदा करना ताकि श्रम बाजार के महत्वपूर्ण भाग के रूप में सफाई कामगारों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके, ताकि उनकी आवाज को सुना जाए और उन्हें अपनी चिंताओं को आगे रखने के लिए एक सार्वजनिक स्थान मिल सके।
- सफाई कामगारों के नियोजन में जाति आधारित विभेदीकरण को दूर करना।

अध्ययन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की स्कीम का मध्यकालिक मूल्यांकन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की स्कीम का क्रियान्वयन किया है। इस स्कीम में

विशेष रूप से इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट तथा परिणाम की दृष्टि से उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मध्यकालिक मूल्यांकन किया जा रहा है जिन्हें 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान शामिल किया गया था। इस अवधि के दौरान शामिल किए गए 600 औद्योगिक संस्थानों में से 120 संस्थानों को नमूने में शामिल किया गया था। यह मूल्यांकन उस विस्तृत सूचना के आधार पर किया गया था जिसे चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पहले से तैयार प्रश्नावली के आधार पर एकत्र किया गया था और सरकारी नियोक्ताओं, विद्यार्थी वर्ग, सरकारी अधिकारियों जैसे विभिन्न पणधारियों के साथ विचार विमर्श करके और उनसे सूचनाएं एकत्र करके किया गया था।

अध्ययन से उभरे कुछ मुख्य नीति संबंधी सिफारिशों में निम्न शामिल हैं:

- जहां तक संस्थानिक व्यवस्थाओं का संबंध है, यह आवश्यक है कि संस्थानिक प्रबंधन समिति (आईएमसी) की बैठकें अनिवार्य/निर्धारित अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएं। बैठकों में प्रत्येक सदस्य की हर वर्ष न्यूनतम उपस्थिति संख्या को निर्धारित करके आईएमसी के सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। उपस्थिति में निरन्तर गिरावट आने की स्थिति में अध्यक्ष/सदस्य सचिव को नये सदस्यों के चयन के लिए अधिकृत किया जाए।
- आईएमसी में महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या 33 प्रतिशत पर अनिवार्य करना उपयोगी हो सकता है। यह निश्चित रूप से आईआईटी में अधिक महिलाओं को भरती करने के और भविष्य में श्रम बाजार में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आईएमसी के महिला सदस्यों का चयन केवल व्यवसाय/उद्योग से नहीं किया जाए बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ अन्य पेशों से भी किया जाए। यदि आवश्यक हो, इसमें स्थानीय सरकारी संस्थानों (नगर पालिका/पंचायत/जिला बोर्ड आदि) के महिला प्रतिनिधियों को शामिल करना उपयोगी हो सकता है।
- औद्योगिक भागीदारिता को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों के विस्तारण में उद्योग को अधिक से अधिक शामिल करके सुदृढ़ बनाया जाए। बड़े उद्योग व्यवस्थापन एवं कार्य करते हुए (ऑन दि जॉब) प्रशिक्षण के संबंध में कार्य का निर्वहन अच्छी तरह करते प्रतीत होते हैं जबकि छोटे एवं मध्यम उद्योग भागीदार स्व-रोजगार प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की आपूर्ति के संबंध में बड़े उद्योग की तरह ही बेहतर हैं। ज्ञात है कि श्रम बाजार के जुड़ावों को तत्काल संस्थिति से परे विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है, यह प्रशिक्षण एवं व्यवस्थापन प्रदान करने में स्थानीय एवं गैर-स्थानीय, दोनों उद्योगों के सहयोग से और विभिन्न प्रकार की उद्योग श्रेणियों के पूलिंग पर विचार करने हेतु आवश्यक हो सकता है। स्वरोजगार तेजी से प्रचालित हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करके निकल रहे विद्यार्थियों को बड़े उद्योग के लिए बहिस्रोत अथवा सहायक कार्य की खोज का अवसर उपलब्ध कराया जाए। अत: विभिन्न उद्योग आकार की श्रेणियों के बीच और स्थानीय एवं गैर स्थानीय उद्योग भागीदारों के बीच अत्यधिक सहयोग होना चाहिए।
- आईटीआई के अलमनी का नेटवर्क तैयार करना और श्रम बाजार मांग के साथ-साथ वर्तमान संस्थान द्वारा संचालित आवधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भागीदारी के बारे में नियमित फीडबैक

में उन्हें शामिल करना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस स्तर पर एक नियमित एलमनी संस्था एवं एलमनी डाटाबेस भी प्रत्येक आईटीआई में सृजित किया जा सकता है।

- राजस्व उत्पादन के संबंध में लाभप्रद प्रवृत्ति को अल्पावधि एवं नियमित, दोनों तरह के अधिक प्रदत्त-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करके और प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रशिक्षण-सह-उत्पादन सेन्टरों को भी और प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन दिशाओं के साथ प्रेरक विकासों, ऋणों की आस्थगित चुकौती अथवा अनुदानों/ऋणों के संबंध में प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- राज्य स्तर के लोक सेवा आयोगों द्वारा इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता को सुनिश्चित करने में काफी लाभप्रद होगा और आईटीआई के राजस्व में वृद्धि करे।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मात्रात्मक विस्तारण का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत बनाकर अनुवर्तन किया जाना चाहिए। यह आईएमसी के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित किए जाने वाले पुराने ट्रेडों एवं नये ट्रेडों के शैक्षिक विषय पर सलाह देने के लिए आवधिक रूप से पूरा करने हेतु शैक्षिक/पाठ्यक्रम उप समितियों की स्थापना में महत्वपूर्ण हो सकता है। समिति शैक्षिक क्षेत्र से और उद्योग से विशिष्ट शैक्षिक/पाठ्यक्रम संबंधी जरूरतों पर उन्हें सलाह देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।
- नामांकन विस्तारण की प्रवृत्ति को पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने एवं असफल होने वाले छात्रों के प्रतिशत को कम करके बढ़ाया जाना चाहिए। आईटीआई विशेष में अथवा ट्रेड विशेष में असफलता/पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने की उच्च दर की जाँच उपयुक्त उपचारी उपाय करने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। इसे प्रत्येक आईएमसी की शैक्षिक/पाठ्यक्रम उप-समिति की मदद से पूरा किया जा सकता है।
- इसमें नये ट्रेडों में प्रशिक्षित अनुदेशकों को जोड़ने को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पुराने अनुदेशकों के कौशल के आवधिक उन्नयन की तत्काल जरूरत है। रिक्त स्थायी कर्मचरियों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। तथापि, संविदा नियुक्ति कर्मचारी भर्ती की महत्वपूर्ण विधि बनी रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में आईटीआई में संविदा नियुक्तियों के लिए मानक तय किये जाएं; आईएमसी को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों अथवा नये ट्रेडों में आवश्यकतानुसार संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अत्यधिक शिथिलता प्रदान की जाए।
- राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय को प्रत्यक्ष प्रबंधन से अपने आप को वंचित रखना चाहिए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए।
- उन्नयनकारी योजना को निरन्तर रूप से मॉनीटर करना चाहिए क्योंकि यह भारत में कौशल आधार के विस्तारण के लिए तैयार की गई प्रमुख योजनाओं में से एक है। उन्नयनकारी योजना

निर्णायक अवस्था में है क्योंकि योजना से उत्पन्न होने वाले परिणाम मात्रात्मक शर्तों में विस्तारण से गुणात्मक शर्तों में रूपांतरणों में परिवर्तित हो रहे हैं। इस वांछित रूपान्तरण को स्वतंत्र संस्थान/एजेंसियों द्वारा योजना के अंतर्गत उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निष्पादन की सतत मॉनीटरिंग के आधार पर निदेशित होना चाहिए।

इस अध्ययन को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

4. विश्व बैंक से सहायताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की प्रबंधन समीक्षा

विश्व बैंक, भारत सरकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) को सहायता प्रदान कर रहा है जिसे 33 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए केन्द्र प्रायोजित, बहुराज्यीय परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईआईटी) को वित्त-पोषित किया जा रहा है ताकि संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता का उन्नयन किया जा सके, और केन्द्रों द्वारा वित्तपोषित 14 संस्थानों को अनुदेशकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास करने तथा पठन और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में मदद कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के अन्तर्गत 10 नए अनुदेशक प्रशिक्षण स्कंधों की स्थापना का वित्त-पोषण भी किया जा रहा है जिनका उद्देश्य राज्य सरकारों के नियंत्रण में रह कर अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना में ऐसे नीतिगत अनुसंधान और नवाचारी प्रस्तावों के वित्त पोषण करने की भी योजना है जिन्हें दीर्घ कालीन व्यवस्थित सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। परियोजना का विकासात्मक उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से प्रशिक्षण के डिजाईन एवं डिलीवरी को अधिक मांग–सापेक्ष बनाकर स्नातकों के नियोजन में सुधार लाना है।

प्रबंधन समीक्षा के उद्देश्यों में प्रभावशीलता की समीक्षा प्रभावकारिता, बाधाएं तथा जोखिम की समीक्षा करना था; सुधार के लिए सिफारिशें और निम्नलिखित पर उत्तम व्यवहारों को प्रलेखबद्ध करना था:

- राष्ट्रीय संचालन समिति और राज्य संचालन समिति की कार्य-प्रणाली
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना कार्यान्वयन एककों की कार्य-प्रणाली
- संस्थागत प्रबंधन समिति (आईएमसी) की कार्य-प्रणाली
- परियोजना के सुचार कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन
- निधि प्रवाह और निधियों का इस्तेमाल
- खरीद प्रबंधन
- प्रकटन प्रबंधन

इस अध्ययन को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

(परियोजना निदेशक: श्री अनूप सतपथी, फेलो)

शुरू की गई और पूरी की गई परियोजनाएं

1. भारत में बेरोजगारी बीमा

भारत में खुली बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में, एक बड़ी चिंता के रूप में उभरी है। यद्यपि, बेरोजगारी दर उस दर से कम हो सकती है जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मानक बन गई है, निर्बाध शब्दों में बेरोजगारी की संख्या महत्वपूर्ण है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि कार्य करने वाली आबादी के बढ़ते हुए भाग को देखते हुए भारत अधिक जनसंख्या का लाभ लेने की मुद्रा में है। तथापि, बढ़ती युवा बेरोजगारी की काली छाया से जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय अभिशाप में बदलने का डर है। इसके अतिरिक्त, इसमें सदैव सामाजिक संकट की आशंका रहती है, जो उच्च बेरोजगारी दर बने रहने और श्रम बाजार अनियमिता के चलते फूट सकता है।

यह इस व्यापक संदर्भ में है कि इस अध्ययन में भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी बीमा के विभिन्न उपायों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। श्रम बाजार स्थिति में नई प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों को मौजूदा योजना, जो बेरोजगारी में सहायता और बेरोजगारी में सीमित बीमा प्रदान करती है, का विश्लेषण करने के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में उपलब्ध है।

भारत में बेरोजगारी बीमा चाहने वाले लोगों की भारी संख्या और संसाधनों, लक्ष्यों एवं लीकेजों के संबंध में नकदी अन्तरण योजना के प्रचालन में संभावित समस्याओं पर विचार करते हुए सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों के प्रावधान अति-व्यवहार्य विकल्प के रूप में विकसित होते प्रतीत होते हैं। भारतीय जनसंख्या के जनसांख्यिकीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए ऐसे सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम भी मौजूदा विकास एवं उन्नयन के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह सामाजिक समावेशन के लिए एक शक्तिशाली साधन बन रहा है।

(इस अनुसंधान अध्ययन को वीवीजीएनएलआई-केएलआई वृत्तिकों के सहयोग के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। अध्ययन में कोरिया श्रम संस्थान द्वारा मदद की गई थी)

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो
और डॉ. राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो)

2. रोजगार पर लोगों के लिए दूसरी वार्षिक रिपोर्ट, 2011

4 जून 2009 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने घोषणा की कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अवसंरचना एवं रोजगार पर लोगों के लिए पांच रिपोर्टें तैयार करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएल एवं ई) को एक राष्ट्रीय बहस शुरू करने के लिए रोजगार पर लोगों के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी

सौंपी गई। वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता एवं सहायता प्रदान की।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो
और डॉ. राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो)

जारी परियोजनाएं

1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कौशल मानचित्रण : आपूर्ति एवं मांग अन्तरालों का निर्धारण

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- श्रम बल के वर्तमान कौशल संघटन और उद्योग एवं जनशक्ति के संबंध में कौशल अन्तराल को निर्धारित करना;
- भविष्य में कौशल की आवश्यकता का अनुमान लगाना, अब से दस वर्ष में (उद्योग एवं जनशक्ति के संबंध में);
- कौशलों के विकास/उन्नयन हेतु और उनकी प्रभावकारिता के विश्लेषण के लिए मौजूदा पहल शक्तियों की जांच करना; और
- भावी कौशल की आवश्यकताओं (अवसंरचना, निवेश एवं जनशक्ति के संबंध में) को पूरा करने के लिए क्षमता का, एवं अन्तराल को पूरा करने के लिए हस्तक्षेपों का विश्लेषण करना।

इस अध्ययन को अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो
और डॉ. राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो)

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग.सह.मार्गदर्शन केन्द्रों के मूल्यांकन अध्ययन

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय वर्तमान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 22 कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्र चला रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत जॉब चाहने वाले शिक्षित एससी/एसटी को उपयुक्त व्यवसाय में सूचीबद्ध करना;
- कोचिंग/प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी नियोजिता बढ़ाना;
- उपयुक्त स्तरों पर उन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करना।

इस अध्ययन को एससी/एसटी के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा संचालित उनके विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए चलाया गया है और एससी/एसटी उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में उन्हें मुख्य बिन्दु बनाने के लिए अर्थोपायों का सुझाव देने के लिए चलाया गया है।

इस अध्ययन को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो
और डॉ. राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो)

3. विकलांगों के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों का मूल्यांकन करना

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय इस समय विकलांगों के लिए 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चला रहा है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अशक्त व्यक्तियों का, उनके पूर्ण शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक शक्तियों/क्षमताओं को प्रकट करने के लिए मूल्यांकन करना;
- अशक्त व्यक्तियों की पुनर्वास योजनाओं को उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुपात में विकसित करने में सहायता करना;
- अशक्त व्यक्तियों की उनके शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए उपयुक्त कौशलों का विकास करना;
- जॉब मार्केट की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण मॉडॅयूल तैयार एवं निष्पादित करना;
- उभरते रोजगार बाजार का सामना करने के लिए अशक्त व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित नये औजारों एवं उपकरण प्रौद्योगिकी से विकलांगों को अवगत कराना;
- अशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कार्यों की पहचान करना;
- प्रशिक्षण, जॉब अथवा स्व-रोजगार में अपंग व्यक्तियों के मूल्यांकन एवं व्यवस्थापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प आयोजित करना;
- स्थानीय सहायता प्रणाली की मदद से स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्वरोजगार के लिए विकलांगों को प्रेरित करना एवं सहायता करना।
- अशक्त व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास परिदृश्य में वृद्धि करने के लिए सहायता एवं उपकरणों को प्राप्त करना;
- पुनर्वास सहायता को बढ़ाने एवं प्राप्त करने लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

इस अध्ययन को अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रभावकारिता की गहनता से जांच करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, अशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सुदृढ़ता एवं कमियों और अवसंरचना सुविधाओं की पर्याप्तता का पता लगाना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अशक्त व्यक्तियों की नियोजितता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने हेतु अपेक्षित आशोधनों का निर्धारण करना है।

इस अध्ययन को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो
और डॉ. राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो)

4. वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की जरूरत का पता लगाना

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रेरक बल का कार्य करते हैं। जबकि भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहे किसी भी देश के लिए यह उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण बनता जा रहा है कि वह उस कौशल के उन्नयन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करे जो उसके यहां उभर रहे आर्थिक वातावरण के अनुकूल हो। वर्तमान में भारत में कौशल विकास क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 9.1 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने की है। कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार भारत को वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करना है। इन 11 वर्षों के दौरान लगभग 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का अर्थ अन्य बातों के साथ यह है कि इस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें लगभग प्रतिवर्ष 50 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी संदर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक अध्ययन शुरू किया है जिसमें 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाएगा। उपर्युक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य 500 मिलियन कौशल प्राप्त लोगों की आवश्यकता को निर्धारित करना और 2022 तक उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षकों की संख्या का निर्धारण करना है।

अध्ययन का वास्तविक कार्यफलक निम्न प्रकार है:

- 500 मिलियन कुशल लोगों की जरूरतों को निर्धारित करना।
- मंत्रालय, ट्रेड एवं क्षेत्रवार सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूदा सीट क्षमता का निर्धारण करना।
- 2022 तक के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में मंत्रालय, ट्रेड, क्षेत्र तथा प्रशिक्षण संस्थानवार सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षकों (प्रमाणित प्रशिक्षित/गैर प्रशिक्षित) की कमी को पूरा करने के लिए उनकी संख्या का पता लगाना।

- सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर सभी मंत्रालयों, ट्रेड्रों और क्षेत्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा क्षमता का पता लगाना।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शहरी विकास मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना तथा एनएसडीसी जैसे अन्य संबंधित पणधारियों तथा अन्य निजी पणधारियो की समीक्षा करना ताकि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की भर्ती के उपबंधों का विश्लेषण किया जा सके। जहां कहीं भी योजनाएं उपलब्ध न हों वहां प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि उन प्रशिक्षकों की संख्या का पता लगाया जा सके जिन्हें पूल में शामिल किया जाना है।
- प्रशिक्षकों की कमी का विश्लेषण करना और प्रशिक्षकों की आवश्यकता का आकलन (ट्रेड तथा स्तर वार) अगले 10 वर्षों के लिए करना (वर्ष में दो बार आकलन)।
- मौजूदा प्रशिक्षकों की गुणवता का पता लगाना और प्रकल्पित आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षकों को अपेक्षित संख्या में किराए पर लेने के उपायों और साधनों के सुझाव देना।

इस अध्ययन को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

(परियोजना निदेशक: श्री अनूप सतपथी, फेलो)

रोजगार संबंध और विनियमन केन्द्र

केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित विषयों पर जोर दिया जाएगा:

1. अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र में बदलते रोजगार संबंध।
2. अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं।
3. रोजगार के अनियमित और आनुषंगिक रूप।
4. औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे।

अभिज्ञात विशिष्ट अनुसंधान मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आनुषंगिक रोजगार के उभरते स्वरूपों और विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों में रोजगार संबंधों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण।
- एक अर्ध-विकसित अर्थव्यवस्था, जहां रोजगार, आय और स्वास्थ्य के संबंध में असुरक्षा बढ़ती दिखाई दे रही है, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का पुनर्निरूपण।
- मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों की खासतौर पर अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों के संबंध में प्रभावकारिता का मूल्यांकन।
- श्रम कानूनों के अर्थशास्त्र का अध्ययन करना।
- समान स्थिति वाले अन्य देशों में श्रम कानूनों का व्यापक अध्ययन और वैश्वीकरण के संदर्भ में उनका विश्लेषण।
- श्रम न्याय व्यवस्था के रुझानों की जांच करना एवं विश्लेषण करना।

पूरी की गई परियोजना

1. निजी सुरक्षा अभिकरणों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे : ओखला तथा नौएडा का वैयक्तिक अध्ययन

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी सुरक्षा फर्मों और ऐसी फर्मों में कार्य कर रहे सुरक्षा कर्मियों का विस्तृत आंकलन करना;

- विभिन्न प्रकार की निजी सुरक्षा फर्मों के द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों से संबंधित श्रम, रोजगार संबंधों एवं सामाजिक सुरक्षा के मुख्य मुद्दों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करना;
- निजी सुरक्षा फर्मो द्वरा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों पर अनुप्रयोज्य प्रमुख श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना;
- निजी सुरक्षा कर्मियों के हित के रक्षोपाय हेतु उपयुक्त, कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के सुझाव देना।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- निजी सुरक्षा सेवा उद्योग भारत के साथ-साथ कई अन्य देशों में एक फलता-फूलता उद्योग है। भारत के अलावा, कई देशों में, जहां पिछले कुछ दशकों में इस उद्योग में निरन्तर वृद्धि हुई है, शामिल हैं- जर्मनी, चीन, कनाडा, रूस, यू.के., आस्ट्रेलिया और नाइजीरिया आदि।
- यद्यपि निजी सुरक्षा कर्मियों से पुलिस के समरूप कई कार्य एवं कर्त्तव्य निभाने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें अपने जीवन में अधिकांशत: इसी प्रकार की चुनौतियों एवं खतरों का सामना करना होता है। इन सभी तथ्यों के बावजूद उनमें पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है और पुलिस एवं रक्षा कर्मियों की तुलना में उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता है। व्यवहारत: उन्हें बहुत कम कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्राप्त है।
- लम्बे समय तक काम करने के बाद भी काफी हद तक सुरक्षा कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाते हैं, उनमें से कईयों को पहचान पत्र भी जारी नहीं किये जाते हैं।
- उनमें से अधिकांश लोगों को अधिकतर समय तक काम करने के बावजूद न्यूनतम मजदूरी एवं समयोपरि कार्य के लिए समयोपरि मजदूरी भी अदा नहीं की जाती है जो अपनी ड्यूटी समय में नियमित आधार पर लगभग 12 घंटे बिना लंच/रात्रिभोजन के अवकाश के काम करते हैं।
- उनमें से कईयों को उन संगठनों द्वारा सीधे भर्ती किए गए सुरक्षा कर्मियों की तुलना में मजदूरी एवं कार्य की अन्य शर्तों के संबंध में भी विभेदीकरण का सामना करना पड़ता है जो सुरक्षा कर्मिकों की दोनों श्रेणियों में भर्ती करते हैं।
- उनमें से अधिकांश लोगों को आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश अथवा अर्जित छुट्टी जैसी किसी भी प्रकार की छुट्टी के बगैर वर्षभर कार्य करना होता है।
- उनमें से अधिकांश लोगों को किसी भी विशिष्ट क्षेत्र/विभिन्न मौसमों में विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में मौजूद जलवायुवीय हालातों के लिए अनुपयुक्त वर्दी पहननी होती है।
- उनमें से कईयों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में नियोक्ता के शेयर में अंशदान करने को मजबूर किया जाता है जो उनके अपने अंशदान के शेयर को अदा करने के अतिरिक्त होता है।

- अधिकांश संगठनों में, जो सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं ले रहे हैं, उनकी समस्याओं और चिंताओं के संबंध में पूरी तरह उदासीनता देखी गई है।
- यद्यपि, निजी सुरक्षा सेवा उद्योग अत्यधिक संगठित है परन्तु हजारों ऐसे उद्योगों में लगे अधिकांश सुरक्षा कर्मी असंगठित हैं।
- अधिकांश सुरक्षा कर्मियों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अपनी न्यायसंगत देयताओं एवं अधिकारों के बारे में या तो जागरूकता नहीं है या फिर बहुत कम जागरूकता है।
- अधिकांश निजी सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न तरीकों को अपनाकर भारी लाभ अर्जित करती हैं परन्तु रखे गए सुरक्षा कर्मियों को बहुत कम भुगतान करती हैं और उन्हें मूलभूत सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपाय भी प्रदान नहीं करती हैं।

(परियोजना निदेशक : डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो)

शुरू की गई एवं पूरी की गई परियोजनाएं

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद मसौदा विधान

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिनियम, 2011 के लिए व्यापक मसौदा विधान तैयार करने का कार्य सौंपा है, जिसे एनसीवीटी को राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक सांविधिक निकाय बनाना है। संस्थान ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) अधिनियम, 2011 के लिए मसौदा विधान तैयार करने के कार्य को राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर विभिन्न सांविधिक निकायों का ब्यौरा देते हुए, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के साथ संस्थानों के सक्षमता मानक, संबंधन एवं प्रत्यायन के संबंध में ढांचा तैयार करते हुए पूरा किया। संस्थान ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अधिनियम, 2011 के विधेयक के साथ मंत्रिमंडलीय टिप्पणी भी तैयार की और इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. ओंकार शर्मा, फेलो)

जारी परियोजनाएं

1. न्यूनतम मजदूरी नीति एवं विनियामक ढांचे का मूल्यांकन : एक अन्तरदेशीय पहलू

संदर्भ

राष्ट्र की सच्ची उन्नति को सिर्फ भौतिक संसाधनों एवं संपदा से नहीं जांचा जा सकता बल्कि इसके लोगों की दीर्घ, स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन-शैली को भोगने की जीवन-गुणवत्ता एवं हितकारी माहौल से परखा जाता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर निर्भर करता है

कि वे सभी, जो युवा आयु वर्ग के हैं, को रोजगार/कार्य का अवसर प्राप्त हो रहा है और जो कार्य वे करते हैं उसके लिए उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिल रहा है। पारिश्रमिक अथवा मजदूरी को परिवार के अर्जन एवं गैर-अर्जन सदस्यों के आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में पर्याप्त होना चाहिए। जब तक कामगार की मजदूरी पर्याप्त न हो, वह अपनी क्षमता को बनाए नहीं रख सकता और उससे पहले उसकी इच्छा या तो रोजगार को छोड़ने की होती है या फिर उसका शरीर थक जाता है।

तथापि, श्रम बाजार में विभिन्न आर्थिक कारकों के पारस्परिक प्रभाव के परिणामस्वरूप अभी भी मजदूरी अपेक्षित स्तर से काफी कम है। जिसके कारण संघ ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारण एवं इसके संशोधन के रूप में मजदूरियों के विनियमन हेतु हस्तक्षेप किया है। यद्यपि, इसमें न्यूनतम मजदूरी के विनियमन की अनिवार्यता पर एक प्रकार की सामान्य सामंजस्यता प्रतीत होती है और प्रथम दृश्टया यह सभी मजदूरी अर्जकों पर प्रयुक्त मजदूरी स्तर के रूप में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने हेतु एवं यह सुनिश्चित करने हेतु एकदम आसान होना प्रतीत होता है, कि उन्हें न्यूनतम स्तर का वेतन संरक्षण प्राप्त है। तथापि, वास्तव में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करना एकदम जटिल कार्य है और इसका विनियमन हमेशा एक सतत मुद्दा रहा है। इसी तरह से, धन के संबंध में न्यनूतम मजदूरी का परिमाण सदैव सामान्य से काफी अलग रहा है। अलग-अलग देश अपने क्षेत्रों/देशों में प्रचलित प्रमुख मूलाधार सिद्धान्तों पर निर्भर रहते हुए इस संबंध में अलग-अलग मानदण्ड, विधियों एवं प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस संदर्भ में वर्तमान अध्ययन न्यूनतम मजदूरी के लिए मजदूरी नीति एवं विनियामक ढांचे के विकास का अन्तरदेशीय विश्लेषण करने की मांग करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- अन्तरदेशीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी नीति एवं विधान के विकास का पता लगाना।
- अन्तरदेशीय परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम मजदूरी के संकल्पनात्मक स्वरूप की जांच करना।
- न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु मानदण्ड का तुलनात्मक अध्ययन करना; और
- उपयुक्त नीतिगत सिफारिशें करना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो)

2. ई.बिज़ मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली का सृजन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संस्थान को ई-बिज़ मिशन मोड के तहत ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली सृजित करने का काम सौंपा है। संस्थान ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सहयोग से इस सौंपे गए काम पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सरकार

से कारोबार और कारोबार से सरकार को विभिन्न कार्यकलापों, संव्यवहारों के ब्यौरे की पहचान की गई। इन संव्यवहारों के अपेक्षित सॉफ्टवेयर के विकास करने के कार्यों को भी डीआईपीपी अधिकारियों के परामर्श से शुरू किया गया था। आगे के कार्यकलापों को कुछ सॉफ्टवेयर विकासकों के साथ शुरू किया जाना है; जिसके लिए डीआईपीपी ने एक सॉफ्टेवयर विकास एजेंसी की पहचान की है। इस कार्य में भारी वित्तीय उलझनें होंगी। श्रम मंत्रालय को इसके बारे में सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मंजूरी/अनुदेश प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

(परियोजना निदेशक: डॉ. ओंकार शर्मा, फेलो)

3. शीर्षस्थ स्तर पर प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी – एक व्यापक प्रोजेक्ट योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संस्थान से अनुरोध किया है कि वह स्कोप के परामर्श से प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के मुद्दे पर गहन अध्ययन शुरू करने के लिए एक विस्तृत एवं व्यापक प्रस्ताव तैयार करे। संस्थान ने संरचना की भागीदारी की विविधता, भारत में विभिन्न विकास कार्यों, विभिन्न पूर्ववर्ती प्रयासों एवं योजनाओं तथा यूरोपीय देशों में बोर्ड स्तर की भागीदारी का ब्यौरा देते हुए इस कार्य को पूरा किया। इस कार्य ने भारत में भागीदारी का एक विश्वसनीय मॉडल विकसित करने की संभाव्यता को भी उजागर किया।

गहन अध्ययन प्रस्ताव के ब्यौरों ने कार्यप्रणाली, अध्ययन हेतु नमूने, तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय मॉडलों की जांच तथा इस अध्ययन के परिणाम को भी उजागर किया है।

(परियोजना निदेशक: डॉ. ओंकार शर्मा, फेलो)

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र की स्थापना बदलते कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने तथा उसके बारे में समझ को बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी। केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित हैं:

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव;
- ग्रामीण श्रम बाजारों की बदलती संरचना की मैक्रो प्रवृत्ति एवं पद्धतियां;
- संगठनात्मक रणनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार-प्रसार;
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम।

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. भारत में मेरिन मत्स्य उद्योग और मेरिन मत्स्य कर्मकार : इस सैक्टर में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन।

उद्देश्य

अध्ययन उभरते आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में मेरिन मत्स्य कर्मकारों की समस्याओं की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मत्स्य कर्मकारों से संबंधित उभरती स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को सूत्रबद्ध किया गया था:

क) चुनिंदा मेरिन राज्यों में मेरिन मछुआरों की जीवन-यापन और कार्य संबंधी दशाओं का अध्ययन करना।

ख) मत्स्य कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना।

ग) स्थायित्व के हिसाब से मेरिन मत्स्य पर्यवासों की समस्याओं का पता लगाना।

घ) विभिन्न चरणों में श्रम प्रक्रिया और रोजगार पैटर्न तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, इसकी सघनता का अध्ययन करना।

ड.) कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिंदा मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों की दशाओं का पता लगाना।

अनुसंधान के निष्कर्ष : अनुसंधान अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नवत हैं:

- यह पाया गया कि अधिकांश मत्स्य कर्मकार अतिपिछड़े और अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं। जाति भेदभाव तमिलनाडु एवं उड़ीसा, दोनों राज्यों में पाया जाता है। मत्स्य

कर्मकार अपनी दुनिया में सीमित रहते हैं। अन्य समुदायों के साथ अधिक मेलजोल नहीं देखा जाता।

- मत्स्य कामगार समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव पाया गया। परिणामस्वरूप, जॉब एवं मजदूरी संबंधी भेदभाव काफी अधिक था।
- मत्स्य पालन एवं इससे संबंधित कार्य वर्ष में चार से पांच महीने का होता है। परिणामत: अधिकांश मत्स्य कर्मकार वर्ष के अधिक भाग में बिना काम के रहते हैं।
- मत्स्य कर्मकारों की गृह स्थितियां भी दर्दनीय होती हैं, क्योंकि अधिकांश मत्स्य कर्मकारों को कच्चे घरों में रहते पाया गया है।
- अधिकांश मत्स्य कर्मकार अशिक्षित हैं।
- मत्स्य कर्मकार सामान्य तौर पर कोई सुरक्षा उपाय प्रयोग में नहीं लेते।
- मत्स्य कर्मकारों के सर्वे में अधिकांश के पास अपनी भूमि एवं औजारों का नहीं होना पाया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो)

2. असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों, विशेष रूप से ऐसे कर्मकारों जो खान संबंधी गतिविधियों में लगे हैं, को सशक्त बनाना : बुंदेलखण्ड क्षेत्र में क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना

उद्देश्य

परियोजना को क्षेत्र के कर्मकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे:

- आय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं घरेलू सुविधाएं, व्यावसायिक पद्धति, रोजगार के अवसर आदि को ध्यान में रखते हुए बुन्देलखण्ड में कुछ चुनिंदा पंचायतों में असंगठित कामगारों के घर–परिवारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करना अध्ययन करना;
- अध्ययन में प्राप्त ज्ञान एवं सूचना, और अनुभव को मॉडल के रूप में इस्तेमाल करके असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के व्यापक फलक में सिद्धान्त को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार करना।

मुख्य विशेषताएं

कार्रवाई हस्तक्षेप के मुख्य परिणामों से दो कर्मकार संगठनों का गठन किया गया, नामत:

(1) बुन्देलखण्ड खेत मजदूर यूनियन, और

(2) बुन्देलखण्ड खदान मजदूर यूनियन।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण श्रम के अलग-अलग खण्डों में मनरेगा एवं अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देते हुए जागरूकता सृजित की गई।

(परियोजना निदेशक: डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो)

जारी परियोजनाएं

1. भारत में ग्रामीण कामगारों के विकास के लिए जागरूकता सृजित करने एवं संगठन हेतु प्रभावी कार्यनीतियां एवं तकनीकियां विकसित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना

पृष्ठभूमि

सरकारी एजेंसियां और ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल संस्थाएं कई दशकों से कृषि/ग्रामीण श्रमिकों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए संगठित कर रही हैं। ग्रामीण श्रमिक को संगठित करना या उनका विकास आसान काम नहीं है, यद्यपि असंभव भी नहीं है। तथापि, ग्रामीण श्रमिक को संगठित करने एवं सशक्त बनाने की प्रक्रिया के यथा-वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। योजना के लाभों को पाने में, क्षमता-निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। यह योजना गरीबी के निराकरण में सक्षम है।

उद्देश्य

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यकलापों, विशेष रूप से मनरेगा के अधीन चलने वाले कार्यकलापों में ग्रामीण कामगारों की प्रभावी भागीदारी के लिए संगठन/संस्थाओं के निर्माण के लिए ग्रामीण कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को उन्मुख एवं प्रशिक्षित करना है।

विशेष उद्देश्य निम्नवत हैं :

- प्रशिक्षण मैनुअल का विकास करना।
- प्रशिक्षक-सह-कार्यकर्ताओं का एक कोश सृजित करना।
- मनरेगा कार्यकर्त्ताओं के बीच नेटवर्क का विकास।
- कार्यकर्त्ताओं में व्यवहारात्मक एवं प्रक्रियात्मक, दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कौशलों का विकास करना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो)

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के सहयोग से एक विशिष्ट केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के समूचे कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न विशेष साझेदारों और पणधारियों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य जानकारी आधारित संगठन का सृजन करना और अनुसंधान करना तथा उसे बढ़ावा देना भी है। केन्द्र सरकार बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के अपने कार्य में नीति निर्धारकों और विधि निर्माताओं का समर्थन करती है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देती है। केन्द्र का मुख्य विषय तकनीकी सलाह, सेवा और परामर्श प्रदान करना तथा सूचना का प्रचार/प्रसार करना है ताकि बाल श्रम की समस्या को उजागार किया जा सके और लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर उनमें जागरूकता लाई जा सके। केन्द्र का आशय व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने में योगदान करना है ताकि वे बाल श्रम के उन्मूलन में अपना भरपूर योगदान कर सकें।

एनआरसीसीएल विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, विकास, समर्थन, तकनीकी सहयोग, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार, नेटवर्किंग और पूरे भूमण्डल पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ बनाकर कन्वर्जन को प्रोत्साहित करने के जरिए अपना उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

अनुसंधान

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. चुने हुए खतनराक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह।
2. बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा और बालश्रम के सामाजिक–आर्थिक-सांस्कृतिक आयामों एवं निर्धारकों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना।
3. समूचे विकास परिदृश्य में बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिए रणनीतियां बनाना।
4. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रम को काम से मुक्त करवाने के अवसर लागतों को स्पष्ट करना।

शुरू की गई एवं पूरी की गई परियोजनाएं

1. संयक्त राज्य अमरीका के फार्मों में बच्चों द्वारा कठोर श्रम और उनके लिए कानूनी ढांचा : एक आलोचनात्मक विश्लेषण

पिछले कुछ दशकों में संयुक्त राज्य अमरीका में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही हैं, यही कारण है कि करोड़ों बच्चों को स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य ने राष्ट्र के रूप में अपनी शुरूआत किसानों के राष्ट्र के रूप में की थी जो अपने पारिवारिक खेतों पर काम करते थे। इसके कई नागरिक अब भी यह विश्वास करते हैं कि कठोर श्रम का उपयुक्त समय बाल्य अवस्था ही है। संयुक्त राज्य के नागरिकों की यह अवधारणा उन कारकों में से एक कारण हो सकती है, क्योंकि संयुक्त राज्य में सामान्य रूप से बाल श्रम की व्यापकता अत्यधिक है और कृषि कार्य में तो बाल श्रम बहुतायत में है। अध्ययन डेस्क अनुसंधान पद्धति के माध्यम से किया गया जिसमें आंकड़ों को मौजूदा स्रोतों, आन्तरिक, स्रोतों, सरकारी और गैर-सरकारी प्रकाशनों और इन्टरनेट के माध्यम से एकत्र किया गया। एकत्र किए उपलब्ध आंकड़ों की उनकी सत्यता और विश्वसनीयता एवं मूल्य के संबंध में व्यवस्थित ढंग से जांच की गई और तब उनका, अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जांच एवं विश्लेषण किया गया। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- संयुक्त राज्य में मौजूदा श्रम कानून बच्चों को कृषि कार्य में लम्बे समय तक काम करने से नहीं रोकता जिससे बड़ी संख्या में बच्चों को कृषि में कार्य संबंधी खतरों के संरक्षण से मुक्ति नहीं मिलती।
- कृषि में कार्य घंटों पर इस प्रतिबंध कि बच्चे स्कूल समय के दौरान काम नहीं कर सकते, के अलावा इस संबंध में कोई सीमा नहीं है कि बच्चे दिन में कितनी सुबह से काम शुरू कर सकते हैं अथवा दिन में कितनी देर तक काम कर सकते हैं। वे पूरे दिन में कितने घंटे कार्य कर सकते हैं, इस संबंध में भी कोई सीमा नहीं हैं।
- उचित श्रम मानक अधिनियम (एफएलएसए) 16 और 17 आयु के बच्चों को समस्त कार्य निष्पादन की अनुमति देता है और यह कि खतरनाक कार्यों में लगे 16 अथवा 17 आयु के बाल फॉर्म कामगारों के लिए संघीय कानून के तहत अलग स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक फिलहाल नहीं हैं।
- न्यूनतम 16 वर्ष की आयु, विशेष रूप से एफएलएसए के तहत खतरनाक कार्य के लिए कृषि हेतु अद्वितीय है। कानून में दिए गए न्यूनतम 14 वर्ष की आयु के व्यापक अपवादों के कारण 10 वर्ष के छोटे बच्चों को कृषि में काम करने की अनुमति दी जा रही है।
- मौजूदा खतरनाक व्यवसाय आदेश काफी पुराने हैं और वर्तमान विनियमन बाल फॉर्म कामगारों को सुरक्षित रखने में अपर्याप्त हैं।
- यूएसडीओएल ने अपने विनियमनों को कृषि में कौन से व्यवसाय बच्चों के लिए विशेष रूप से

खतरनाक हैं, का वर्णन करते हुए अद्यतन नहीं किया है। इसके कारण बालश्रम उन जॉब कार्यों में लगे हुए रह सकते हैं जो वास्तव में खतरनाक हैं।

- फिर भी सापेक्ष रूप से कमजोर बाल श्रम संरक्षण, जो व्यवस्था में हैं, यूएस कृषि क्षेत्र में अच्छी तरह से लागू नहीं हैं।

(परियोजना निदेशक : डॉ. हेलन आर सेकर, वरिष्ठ फेलो)

2. दक्षिण एशिया में बच्चों का नियोजन : सार्क देशों में प्रकारों, विस्तार, विधायी ढांचे एवं नीतियों का अध्ययन

बाल श्रम - बाल कार्य विभेद के बावजूद काम करने वाले बच्चों की बड़ी संख्या दक्षिण एशिया क्षेत्र के बड़े भागों में बाल श्रम के मुद्दे पर चिंता का प्रमुख विषय है। बाल श्रम, बच्चों के अधिकारों के उल्लंघनों का एक ठोस प्रकटीकरण है और दक्षिण एशिया में गम्भीर एवं विशालकाय जटिल सामाजिक समस्या के रूप में अभिज्ञात है। यद्यपि, समाजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में काम कर रहे बच्चे दक्षिण एशिया में परंपरावादी हैं, लाखों बच्चों का विभिन्न तरीकों से शोषण किया जा रहा है। क्षेत्र में बच्चों के बड़ी संख्या में विश्व में नुकसानदायक, शोषण और दमनात्मक श्रम में होने का अनुमान है। वर्तमान अध्ययन इस अन्तराल को भरने का प्रयास करेगा और सार्क क्षेत्र में बाल श्रम के रूपों के विस्तार का अध्ययन करने के उद्देश्यों से उन क्षेत्रों, प्रक्रियाओं तथा व्यवसायों की पहचान करने एवं पता लगाने के लिए पूरा प्रयास करेगा, जिनमें बच्चे काम करते हैं और उनके कारणों का पता लगाएगा और क्षेत्र में बाल श्रम के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य और गैर-राज्यीय हस्तक्षेपों के मूल्यांकन का अध्ययन करेगा। अध्ययन के व्यापक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- सार्क क्षेत्र में बाल श्रम के विश्व में गरीबतम, अति अशिक्षित, अति कुपोषित, न्यूनतम लिंग संवेदी और पिछड़े क्षेत्र के रूप में क्षेत्र के आभिर्भाव पर आरोपित किया जा सकता है।
- सार्क क्षेत्र में जो लोग बालश्रम का सहारा उत्तरजीवी साधनों के रूप में लेते हैं, वे लोग हैं जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं और वे लोग हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से, नृजाजीय अल्पसंख्यकों देशज अथवा जनजातीय समूहों से और छोटी जातियों से बाहर रखा गया है।
- सार्क क्षेत्र के अधिकांश देशों में आर्थिक विकास में उच्च दर, प्रति कामगार बढ़ते निवेश, शिक्षण एवं संबद्ध मान पूंजी में भारी निवेश और उपयुक्त नीतियों के प्रभाव ने बाल श्रम की घटना को, महत्वपूर्ण रूप से एकल पीढ़ी के अन्दर, कम करने में मदद की है।

(परियोजना निदेशक: डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

जारी परियोजनाएं

1. बाल श्रम से लड़ने के लिए कानून प्रवर्त्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का निर्धारण एवं प्रशिक्षण मैनुअलों का विकास

परियोजना की सीधी कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य स्तर पर कानून प्रवर्त्तन प्रणाली को सुदृढ़ करना, क्षमता निर्माण, जानकारी बढ़ाना एवं प्रचार-प्रसार और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर संपरिवर्तन मॉडल को पुन: लागू करना है। सामाजिक भागीदारों के साथ काम परियोजना एवं प्रशिक्षण मैनुअलों के विकास के लिए तात्विक हैं, जो श्रम कानून प्रवर्त्तन मशीनरी की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का निर्धारण करने के बाद बाल श्रम से लड़ने के लिए कानून प्रवर्त्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु जरूरी हैं। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वर्तमान बाल श्रम विधानों, मौजूदा प्रवर्त्तन तंत्र का गहन विश्लेषण करना तथा अन्तराल, यदि कोई हो, की पहचान करना।
- बाल श्रम मुद्दों पर संगत राज्य स्तरीय कानून प्रवर्त्तन प्राधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों का निर्धारण करना, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं श्रम का अवैध व्यापार तथा उत्प्रवास शामिल है।
- राज्य स्तर के कानून प्रवर्त्तन प्राधिकारियों/मुख्य प्रशिक्षकों को जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना; और
- उक्त प्रशिक्षण मैनुअल का इस्तेमाल करते हुए मुख्य प्रशिक्षकों/कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

2. भारत के चयनित राज्यों में बाल श्रम के मुद्दों को कारगर रूप से हल करने के लिए पणधारियों की जरूरतों को पूरा एवं सुदृढ़ करना : प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का निर्धारण एवं पणधारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मैनुअलों को तैयार करना

परियोजना *बाल श्रम के प्रति संपरिवर्तन; भारत के मॉडल के लिए समर्थन* (संपरिवर्तन प्रोजेक्ट) को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाल श्रम के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईसी) के तहत भारत में लागू किया जा रहा है, जिसे न्यूनतम आयु पर आईएलओ अभिसमय सं. 138 और बालश्रम के सबसे भयावह रूप पर अभिसमय सं. 182 के ढांचे के भीतर प्रचालित किया जाता है। अल्प एवं मध्य अवधि में, कार्यक्रम सदस्य–राज्यों को नीतियों एवं समयबद्ध उपायों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने एवं क्रियान्वित करने में बाल श्रम को इसके खराब स्वरूप में प्राथमिकता से रोकने एवं दूर करने में मदद करता है। वर्तमान परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम के प्रति कार्रवाई में समन्वय करने के लिए राज्य

स्तरीय क्षमताओं को बढ़ाना और जिला स्तर पर संपरिवर्तन संबंधित कार्रवाई की योजना एवं क्रियान्वयन हेतु, बाल श्रम पर प्रवर्त्तन प्रणाली की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करके और संगत विभागों/कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं सहक्रिया को समर्थ बनाकर पणधारियों के क्षमता निर्माण से संपरिवर्तन हस्तक्षेपों में सहयोग करना है। प्रोजेक्ट के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अभिज्ञात एजेंसियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को निर्धारित करना (सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और सिविल समाज के भागीदारों को बालश्रम एवं संपरिवर्तन संबंधी कार्रवाई पर प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में राज्य प्रशिक्षण संस्थान/राज्य श्रम संस्थान/राज्य संसाधन प्रकोष्ठ)
- संस्थानों/एजेंसियों के लिए सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं सभ्य समाज भागीदारों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना।
- राज्य श्रम संस्थानों/राज्य संसाधन प्रकोष्ठों से प्रमुख प्रशिक्षकों और अभिज्ञात संसाधन व्यक्तियों को उक्त प्रशिक्षण मैनुअल के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(परियोजना निदेशक : डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम, जिसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) के सहयोग से जुलाई 1988 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य श्रम इतिहास पर अनुसंधान शुरू करना तथा उसे समन्वित और पुनर्जीवित करना है। कार्यक्रम के तत्काल भावी अनुसंधान के लिए प्राथमिक क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनौपचारिक क्षेत्र श्रम इतिहास
  - मौखिक इतिवृत संग्रहण
  - बीड़ी और वस्त्र पर संग्रहण।
- सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन और टैक्सटाइल का बढ़ता दायराः केन्द्रीय सरकार के श्रम रिकार्ड का संग्रहण
  - टैक्सटाइल
  - रेलवे
  - खान
- मौखिक इतिहास संग्रहण
- भारत में श्रम इतिहास पर शैक्षणिक खण्डों का प्रकाशन।

डिजिटाइजेशन – पृष्ठभूमि एवं परियोजनाएं

वर्ष 2011-12 में समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम का डिजिटाइजेशन यूनिट का कार्य, मूल्यांकन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना (चरण-1) के निष्कर्षों पर आधारित था, जिससे अभिलेखागार के सर्वरों एवं वर्कस्टेशनों के संबंध में तत्काल स्थिरीकरण, डिजिटल अभिलेखन प्रौद्योगिकियों में संगत प्राप्तियों की पहचान करने में, अन्तर्वस्तु के जीवनचक्र पर फाल्ट-टोलरेंट कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने, नये मंच के तहत डिलीवरी के लिए अभिलेखीय वस्तु का पारगमन एवं मानकीकरण हुआ है। ये प्रयास डिजिटल अभिलेख के संधारणीय प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण थे, और आईएलएचआरपी के विज़न 2020 के महत्वपूर्ण भाग थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय श्रम की डिजिटल अभिलेखागारों की सम्पत्तियों के मानकीकरण एवं पारगमन में बड़े कदम उठाए गए थे। आईएलएचआरपी ने उन्नत तकनीकों, साधनों एवं कार्यप्रवाहों, जिन्हें 2010-11 में लागू किया गया था, का प्रयोग करते हुए इसके 34 संचयनों के 32 प्रिंट आधारित

संघटकों के मानकीकरण को पूरा किया। पिछले वर्ष के दौरान तथा मानवीकरण एवं पारगमन के बाद अभिलेखागार डाटा की मात्रा तीन गुने से अधिक लगभग 500 गिगावाइट्स हो गई है, जो 700,000 से अधिक अभिलेखागारीय वस्तुओं के डाटा एवं लेखाकरण की स्तब्धकारी मात्रा है।

शुरू की गई और पूरी की गई परियोजनाएं

I. डिजिटाइजेशन परियोजनाएं

परियोजना का नाम	डिजिटाइज्ड पृष्ठों की सं.
1. भारतीय श्रम गतिविधि के मौखिक वृतान्त प्रलेखन का डिजिटाइजेशन	630 पृष्ठ
2. भारतीय खेत मजदूर यूनियन के रिकॉर्डों एवं सामग्रियों के संचयन का मानकीकरण एवं पारगमन	6444 पृष्ठ
3. एआईटीयूसी रिकॉर्डों के संचयन का मानकीकरण एवं पारगमन	24, 256 पृष्ठ
4. श्रम पर कमीशनों का मानकीकरण एवं पारगमन 1931-2000	10,091 पृष्ठ
5. चर्म कारीगरों एवं ईंट भट्टा कामगारों में डिजिटाइजेशन. थके-हारे यात्रियों का वृतान्त	116 पृष्ठ
6. अनौपचारीकरण प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन: बनारस के बुनकरों का अनियमितीकरण एवं अभिचयनीकरण	175 पृष्ठ
7. बाह्यस्रोत के प्रभाव पर विशेष जोर देने के साथ कोयला कामगारों के इतिहास के संचयन का डिजिटाईजेशन	559 पृष्ठ
8. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी परिसंघ संबंधी रिकॉर्डों के संचयन का डिजिटाइजेशन 1955-1985	2826 पृष्ठ

II. भारतीय श्रम के डिजिटल अभिलेखागारों का मूल्यांकन एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन (चरण- II)

वर्ष 2011-12 में प्रयासों का मुख्य बिन्दु आईएलएचआरपी डिजिटाइजेशन यूनिट के प्रचालन में सुरक्षा, स्थिरता, मापयिता एवं गति को सुनिश्चित करने पर था। एक प्रमुख एवं आपवादिक रूप से शक्तिशाली खुले स्रोत मंच का चयन, विविध विकल्पों की प्रौद्योगिकी एवं क्षमताओं की व्यापक समीक्षा करने के बाद भारतीय श्रम डिजिडल अभिलेखकगारों के लिए नये मंच के रूप में किया गया था। आईएलएचआरपी टीम ने अभिलेखागार की दुनिया में कई नवीनतम तकनीकों में अनुभव प्राप्त किया और खुले स्रोत

के अभिप्राय में इन्हें भारतीय श्रम के डिजिटल अभिलेखों के प्रयुक्त मामलों के अनुसार अनुकूलित बनाया।

संस्थान के वेबसाइट को भी व्यापक पुनर्प्रक्रिया के जरिए शुरू किया गया था और एक संगत, रमणीय और समकालीन डिजाईन में उन्नत बनाया गया था जिसे नवीनतम प्रौद्योगियों से तैयार किया गया था और जो ड्रूपल अंतर्वस्तु प्रबंधन प्रणाली पर आधारित था। आईएलएचएचआरपी टीम ने इस नई प्रणाली के प्रचालन में प्रशिक्षण एवं व्यापक अभ्यास प्राप्त किया।

संस्थान ने भारतीय श्रम इतिहासकारों के सहयोग से संयुक्त रूप से मार्च 22-24, 2012 में श्रम इतिहास, कार्य एवं गैर-कार्य, दीर्घ अवधि में इतिहास पर नौवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 80 प्रतिनिधिमण्डल थे।

(परियोजना समन्वयक: डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केन्द्र

स्वास्थ्य प्रणाली, जिस मात्रा में विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरी करती है यह पूरे विश्व में चिंता का विषय है। यह मुद्दा उन देशों में अधिक है जो देश त्वरित आर्थिक और संस्थागत परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों में समान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना एक चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य उपबंधों के मुख्य मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसको कार्य की दुनिया से जोड़ने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई है। यह विशिष्टीकृत केन्द्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों के समक्ष उभर कर आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। केन्द्र के अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

केन्द्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप।
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा में साम्यता एवं समानता।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा डिलीवरी प्रणालियां एवं इनके प्रभाव।
- स्वास्थ्य एवं स्वास्थ व्यवहार तक पहुंच को समझना: जाति, श्रेणी, जातीयता एवं लिंग संबंध

केन्द्र के विशिष्ट अनुसंधानिक मुद्दे

- स्वास्थ्य बीमा और इसके आर्थिक प्रभाव।
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।
- स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में असमानताएं और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव।
- कार्य स्थल स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता दर की पद्धतियां।
- संचरणीय रोगों का सामाजिक रोग विज्ञान।

जारी परियोजनाएं

1. ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के जीवन स्तर पर मनरेगा का प्रभाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी रोजगार की गारण्टी देकर उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना

है। इसके साथ ही उन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है जो सूखे जैसे गरीबी के कारणों को दर्शाते हैं और इस तरह दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

वर्तमान अध्ययन को ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के जीवन स्तर पर मनरेगा के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, दो राज्यों में पूरा किया जा रहा है।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- कामगारों के जीवन स्तर पर मनरेगा के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- श्रम बाजार में सकारात्मक बदलाव लाने में और कामगारों के बीच वित्तीय शक्ति का सृजन करने में मनरेगा के प्रभाव को निर्धारित करना।
- व्यथित उत्प्रवास पर मनरेगा के प्रभाव को समझना।
- लैंगिक अधिकारिता एवं महिलाओं की भागीदारी से शक्ति संबंधों में परिवर्तन तथा महिला कामगारों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों को समझना।
- मनरेगा के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यनीतियों का सुझाव देना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. रूमा घोष, फेलो)

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का मूल्यांकन अध्ययन

भारत का स्वास्थ्य चिकित्सा पर भारी व्यय के प्रति वित्तीय संरक्षण का एक बहुत खराब रिकॉर्ड है, क्योंकि इस व्यय का अधिकांश भाग खुद वहन करना पड़ता है। यह विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के लिए सही है, जिनका किसी प्रकार का बीमा नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को, जो गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे हैं, स्वास्थ्य बीमा संरक्षण प्रदान करने के क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई), भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की है। योजना में, असंगठित क्षेत्र में परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कामगारों के परिवारों द्वारा किये गये खर्चों के भुगतान की व्यवस्था है।

वर्तमान अध्ययन, जिसे झारखण्ड, महाराष्ट्र और पंजाब में पूरा किया जा रहा है, वित्तीय जोखिम संरक्षण पर आरएसबीवाई के प्रभाव का पता लगाता है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- आरएसबीवाई में नामांकित बीपीएल परिवारों के अनुपात एवं गैर-नामांकन हेतु उनके कारणों को समझना।
- उन बीपीएल परिवारों के अस्पतालीय चिकित्सा के अनुपात का मूल्यांकन करना जो आरएसबीवाई के अन्तर्गत आते हैं।
- जिलों में अस्पताल के दरों में परिवर्तनों की पहचान करना।
- आरएसबीवाई में पूर्व एवं पश्च नियोजन अस्पतालों की गुणवत्ता का निर्धारण।

- नामांकित परिवारों द्वारा आरएसबीवाई की जागरूकता दर को समझना।
- उन स्मार्ट कार्ड धारकों के अनुपात को समझना जिन्होंने उपचार का लाभ किया है।
- घरेलू स्वास्थ्य व्यय, घरेलू ऋण, बीमारियों के प्रकार, जिनके लिए दावे किए गए हैं, दावे के स्रोत (सरकारी/निजी अस्पताल); पहुंच एवं स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में संतुष्टि की दर, आरएसबीवाई व्ययों का लाभ लेने में घर–परिवारों द्वारा सामना की गई समस्याओं पर आरएसबीवाई के प्रभाव का निर्धारण।

(परियोजना निदेशक: डॉ. रूमा घोष, फेलो)

3. कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा : दिल्ली में चयनित औद्योगिक यूनिटों का अध्ययन

विनिर्माण उद्योग के मुख्य पणधारियों, मुख्य रूप से ट्रेड यूनियनों ने अग्नि दुर्घटनाओं के बार-बार की घटनाओं, जिनके कारण कामगारों की मृत्यु हुई और दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक यूनिटों से उनकी जीविका को नुकसान हुआ, को देखते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर एक अध्ययन शुरू करने की जरूरत को अभिव्यक्त किया। विनिर्माण यूनिटों, जैसे कि ऑटो पार्ट्स, चमड़ा, टैक्सटाइल/गार्मेंट और इलैक्ट्रॉनिक्स का परिस्थितिजन्य विश्लेषण उन मौजूदा वास्तविकताओं के संबंध में किया जाएगा जिनका सामना कामगार प्रतिदिन करते हैं। उनकी कार्य स्थितियों, श्रम कानूनों के प्रवर्त्तन, जख्मों एवं दुर्घटनाओं के पूर्वानुमानों को उजागर करके अध्ययन, दूसरी बडी एजेंसियों से कामगारों के जीवन में बदलाव हेतु सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इनमें संबंधित सरकारी विभाग और ट्रेड यूनियनें महत्वपूर्ण पणधारियों के रूप में शामिल हैं।

अध्ययन के विशेष उद्देश्य

- विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में औद्योगिक क्षतियों/दुर्घटनाओं की सीमा एवं तीव्रता का प्रलेखन।
- ऐसी यूनिटों में कार्य–दशाओं, किए गए/नहीं किए गए सुरक्षा उपायों और अनुरक्षित/अननुरक्षित मानकों की स्थिति का प्रलेखन।
- विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी यूनिटों के संबंध में विभिन्न विधायी उपबंधों के प्रवर्त्तन की सीमा एवं उनमें कठिनाई/सीमांकनों की जांच करना।
- कामगारों द्वारा औद्योगिक क्षतियों/दुर्घटनाओं, खतरनाक जोखिमों एवं रोजगार जोखिमों के व्यवस्थापन में किए गए उपायों का अध्ययन करना।
- औद्योगिक यूनिटों में कार्य आयोजन एवं श्रम संबंधों के स्वरूप को समझना।
- विशेष रूप से छोटे निजी औद्योगिक व्यवस्थापनों में कामगारों के लिए मौजूदा नीतियों का विश्लेषण करना और कुछ नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार करना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. रिंजू रसाइली, एसोशिएट फेलो)

लिंग एवं श्रम केन्द्र

लिंग और श्रम केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। बाजार सुधारों के साथ-साथ ऐसे मुद्दों ने अनुसंधान के आयामों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश के लिए कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुधा पुरुषों को कार्य चुनने की आजादी के बराबर आजादी नहीं मिलती, श्रम बल सहभागिता दर और रोजगार दर में लिंगीय अंतर वैश्विक श्रम बाजार की शाश्वत विशेषता है। वैश्विक स्तर पर श्रम बाजार में लिंगीय असमानता हमेशा एक मुद्दा रहा है। इन मुद्दों के समाधान की जरूरत है, ताकि श्रम बाजार में लिंगीय समानता सुनिश्चित की जा सके जिसके लिए अकादमिक और नीति, दोनों स्तरों पर संगठित प्रयासों की जरूरत है।

महिलाएं, जिन आर्थिक गतिविधियों में काम करती हैं उन सेक्टरों में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अक्सर कुल रोजगार में असुरक्षित रोजगार के हिस्से के हिसाब से शोषित स्थिति में रहती हैं। इन कर्मकारों को घरेलू कर्मकारों की तरह असुरक्षित रोजगार की विशेषताओं वाले रोजगार में रखा जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे प्रवासी कर्मकारों को जिनके पास निम्न कौशल, निम्न आय तथा निम्न उत्पादकता है। सरोकार का दूसरा मुद्दा लिंगीय मजदूरी का अंतर है, जिसके लिए हो सकता है विभिन्न कारक जिम्मेदार हों, जैसे अत्यधिक कम मजदूरी अदा करने वाले उद्योगों में महिलाओं की सघनता और कौशल एवं कार्य अनुभव में अंतर, लेकिन हो सकता है ऐसे भेदभाव के कारण भी हो। श्रम बाजार लिंग अन्तर विकासशील देशों में अधिक मुखरित हैं और यह प्राय: अधिसंख्य महिलाओं के कार्य, विशिष्ट रूप से संकुचित क्षेत्रों, जिनमें से अधिकांश अतिसंवेदनशील एवं असुरक्षित हैं, में सकेंद्रित होने के कारण, व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक प्रवृतियों से और अधिक हो जाते हैं ।

केन्द्र की गतिविधियों के ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि लिंग तथा विशेष रूप से महिलाओं को लेकर संस्थान के स्तर को अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पक्ष–समर्थन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के स्तर तक बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त केन्द्र को महिला श्रमिकों पर आंकड़ों तथा प्रलेखों के शीर्ष भण्डार के रूप में देखे जाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के लिए परस्पर विचार-विमर्श के मंच के रूप में समझा जाना चाहिए ताकि महिला श्रम के मुद्दों और लिंग की समझ को बढ़ाया जा सके।

शुरू की गई और पूरी की गई परियोजनाएं

1. लिंग संबंधी आंकड़े तैयार करना : भारत में लिंग विभेदीकृत आंकड़ों का विश्लेषण

परियोजना ने भारत में अतिव्याप्त लिंग विविधता को दर्शाते हुए लिंग संबंधी आंकड़ों की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया। तथापि, यह सत्य है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अंशदान

अभी भी पुरुषों के अंशदान से कम महत्व एवं गलत निरूपण वाला है। उपलब्ध आंकड़ें आंशिक हैं और देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की विकृत धारणा को बनाए रखने में सहयोग देते हैं और अनुपयुक्त धारणाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के कारण पुरुष एवं महिलाओं के बीच असमानता के अनैतिक सर्किल को तैयार करने में सहयोग करते हैं। वर्तमान अध्ययन में सामाजिक ढांचे में गहराई से अन्त:स्थापित विभिन्न बाधाओं को प्रकट करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों में लिंग निरूपण की विभिन्न संभाव्यताओं का और महिलाओं की भूमिका तथा सामाजिक/आर्थिक एवं समाज के राजनैतिक जीवन में उनकी भागीदारी के विभिन्न पहलुओं की उपेक्षा करने में वे कैसे सहायक हैं, का पता लगाने का प्रयास किया।

उद्देश्य

- लिंग और जनसंख्या में लिंग के महत्व के बारे में संकल्पनात्मक समझ को विकसित करना।
- श्रम से जुड़े लिंग आंकड़ों में विभिन्न संकल्पनाओं का पता लगाना।
- रोजगार (औपचारिक एवं अनौपचारिक) के संबंध में मुख्य क्षेत्रों की पहचान करना और जनसंख्या में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
- चुनिंदा देशों का तुलनात्मक विश्लेषण करना और आंकड़ों में लिंग निरूपण का पता लगाना।
- लिंग के संबंध में मूल्यवर्धित आंकड़ों के विशेष संदर्भ में आंकड़ों में लिंग की अदृश्यता के कारणों एवं नीति निर्धारण में इसकी उपयुक्तता की पहचान करना।

अध्ययन, कई सरकारी स्रोतों, जैसे कि पत्रिकाओं, सरकारी रिकॉर्डों, प्रकाशित सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए गौण डाटा पर आधारित था। वैचारिक एवं सैद्धांतिक समझ को साहित्य की विस्तृत समीक्षा से विकसित किया गया था। वर्तमान अध्ययन के लिए जनगणना, एनएसएसओ (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय), एनएफएचएस (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण), एनसीईयूएस (राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्योग आयोग), केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (समयोचित सर्वेक्षण) डाटा का अध्ययन किया गया था और तत्पश्चात् व्याख्या की गई थी। भारत में मौजूदा लिंग अन्तर की तुलना के क्रम में वर्षों से पुरुष-महिला विभेदनों की जांच के लिए असमानता सूची का प्रयोग किया गया था। चुनिंदा देशों (स्वीडन और कुछ दक्षिण एशियाई देश, नामत: बांग्लादेश) का तुलनात्मक विश्लेषण डाटा को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने और भारत में लिंग के संबंध में डाटा के निदर्शन में विभिन्न कमियों का पता लगाने के क्रम में किया गया था।

श्रम सांख्यिकी में लिंग मुद्दों के बारे में एक गहरी समझ पैदा करने का प्रयास किया गया था। विभिन्न डाटा स्रोतों में महिलाओं के कार्य को प्राप्त करने में विभिन्न डाटा अन्तरालों का पता लगाने का प्रयास भी किया गया था। विभिन्न देशों में लिंग आंकड़ों के बारे में संगत और बेहतर समझ बनाने के क्रम में चयनित देशों (स्वीडन और बांग्लादेश) का क्षेत्रवार विश्लेषण अध्ययन हेतु शुरू किया गया था।

तत्पश्चात्, अध्ययन में आंकड़ों में लिंग संबंधी मुद्दों की अदृश्यता का पता लगाने के लिए और कुछ मूल्यवर्धित आंकड़ों एवं नीति निर्माण में इसकी सुसंगतता पर प्रकाश डालने के लिए भी यथेष्ट प्रयास किए गए थे।

(परियोजना निदेशक: डॉ. एलीना सामंतराय, एसोशिएट फेलो एवं डॉ. धन्या एम.बी., एसोशिएट फेलो)

चल रही परियोजनाएं

1. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि

प्रसूति को संरक्षण प्रदान करना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्य पहल एवं प्राथमिक सरोकार है। 1919 में पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रसूति संरक्षण पर पहली कन्वेंशन (कन्वेंशन संख्या 3) को अपनाया गया था। इस कन्वेंशन के बाद दो कन्वेंशन और पारित किए गए: 1952 में कन्वेंशन संख्या 103 और 2000 में कन्वेंशन संख्या 183, जिन्होंने धीरे-धीरे कार्य स्थल पर प्रसूति संरक्षण के कार्यक्षेत्र एवं हकदारियों का उत्तरोत्तर विस्तार किया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में निर्देश दिए गए हैं कि राज्य कार्य की मानवीय दशाओं और प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित उपबंधों को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय स्थापनाओं में कतिपय अवधि के लिए बच्चे के जन्म से पहले और बाद में रोजगार की शर्तों को विनियमित करेगा और प्रसूति प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ तथा कतिपय अन्य सुविधाओं के साथ भारत की संसद ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को लागू किया। अब मुख्य प्रश्न यह है कि जिस उद्देश्य के लिए संरक्षण नियम बनाए गए थे वे उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं, महिला कर्मकारों को उन संरक्षणवादी कानूनों से फायदा हुआ है या नहीं। यदि हम कार्यान्वयन की स्थिति पर नजर डालें तो यही पाते हैं कि महिला कर्मकार जिन लाभों की हकदार थीं उन्हें नियमानुसार वे लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं।

इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों के श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता में मुख्य योगदान युवतियों का है। केन्द्र सरकार और श्रम समस्या संबंधी विभिन्न जांच समितियों द्वारा गठित अध्ययन दलों की रिपोर्टों में इन संरक्षात्मक कानूनों के वास्तविक क्रियान्वयन में अपर्याप्तताओं के बारे में बात की गई है। इस संदर्भ में वर्तमान अध्ययन में चयनित अध्ययन क्षेत्र में नियोक्ताओं द्वारा क्रियान्वयन एवं अनुकूलन के संबंध में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के परिदृश्यों की जांच करना अपेक्षित है।

उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत हैं:

- प्रसूति के संबंध में आईएलओ मानकों के संदर्भ में भारतीय कानूनी उपबंधों के निहितार्थ/सार्थकता को देखना।
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के संबंध में न्यायालयों के समक्ष उठाए गए मामलों की जांच करना।
- प्रसूतिका अवकाश के प्रावधानों, अवधि, लाभ एवं निधियन के स्रोत के मुख्य पहलुओं का विश्लेषण करना।
- संगठन के भीतर प्रसूति संरक्षण हेतु अन्य मौजूदा उपाय।
- प्रसूति से संबंधित मामलों के कारण कामगारों के बीच गैर-नियमित कार्य के मामले की जांच करना।
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के संबंध में नियोक्ताओं एवं लाभार्थियों के परिप्रेक्ष्य की जांच करना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, फेलो)

पूर्वोत्तर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक विशिष्टीकृत केन्द्र की स्थापना संस्थान में उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में श्रम एवं रोजगार के मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए की गई थी। इस अनुसंधान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य श्रम एवं रोजगार मुद्दों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करना है जो उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए रोजगार पैदा करने की रणनीतियों के विकास को सुविधाजनक बनाएगा। केन्द्र के अनुसंधान विषयों की पहचान निम्न रूप में की गई है-

- भारत में आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी और विकास के संकेतक : पूर्वोत्तर क्षेत्र से साक्ष्य
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का रोजगार पर प्रभाव
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-कृषि रोजगार की संभावनाएं और भूमिका
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र की भूमिका और हिस्सा
- असुरक्षित समूह : बाल श्रमिक, ठेका श्रमिक और बंधुआ मजदूर
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका की रणनीति के रूप में आप्रवास
- रोजगार विस्तारण : पर्यटन की संभावना और भूमिका, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग तथा चाय बागान क्षेत्र
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवा बेरोजगारों का मुद्दा
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा रोजगार सृजन की अन्य पहलों का प्रभाव

अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के अलावा यह केन्द्र विभिन्न राज्यों से संबंधित अनुसंधान शोधकर्ताओं को श्रम अनुसंधान पद्धति प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सक्रियता से लगा हुआ है। यह केन्द्र, चर्चाएं करने के लिए समय-समय पर अनुसंधान कार्यशालाएं भी आयोजित करता है जिनमें पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के सहभागियों को शामिल किया जाता है तथा केन्द्र के अनुसंधान कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाता है।

पूरी की गई परियोजनाएं

(i) उत्तर–पूर्व भारत के परिसंकटमय रोजगार में लगे प्रवासी तथा ऐसे बच्चे जिनकी खरीद–फरोख्त की गई है : नागालैण्ड का मामला

काम पर लगाए जाने के लिए बच्चों की खरीद-फरोख्त तथा बच्चों का रोजगार के उद्देश्य से अकेला उत्प्रवास दोनों प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जो बच्चों की बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाली एक वैश्विक समस्या है। नागालैण्ड में अधिकांश बच्चों की खरीद-फरोख्त मोन तथा ट्यूनसांग जिलों से नगरों जैसे

कि दीमापुर, कोहिमा और मोकाकचंग को की जाती है। इन बच्चों को मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में लगाया जाता है लेकिन उन्हें दुकानों, रेस्तराओं, होटलों तथा मोटर कार्यशालाओं में भी लगे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें फार्मों पर भी लगाया जाता है। कुछ मामलों में उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। खरीदे गए ऐसे बच्चों में से 80 प्रतिशत लड़कियां हैं। खरीद-फरोख्त के रास्ते स्थानीय परिस्थितियों या मांग और आपूर्ति जैसे मुद्दों के अनुसार बदलते रहते हैं। अधिकांश मामलों में उनकी 'दिशा' और 'बहाव' तर्क विरूद्ध लगता है। बच्चे अधिकतर/बहुधा खरीद-फरोख्त के खतरों से अनजान रहते हैं और उन्हें यह विश्वास रहता है कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, उनकी कमाई बेहतर होगी, लेकिन ऐसी बातें छिपा कर रखी जाती हैं और उनका समाधान मुश्किल होता है।

आज की तारीख तक नागालैण्ड में इन आंकड़ों का प्रलेखन नहीं हुआ है कि परिसंकटमय रोजगार में कार्यदल प्रवासी अथवा ऐसे बच्चे, जिनकी खरीद की गई है, की वास्तविक संख्या कितनी है। जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, वह यह है कि इन बच्चों का अनौपचारिक क्षेत्र में गंतव्य स्थानों पर किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों की खरीद-फरोख्त या उनके उत्प्रवास की प्रक्रिया क्या है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस उलझी गुत्थी को सुलझाना है कि बच्चों की खरीद-फरोख्त के आगे-पीछे की कहानी क्या है और इन बच्चों की मांग और आपूर्ति के बीच क्या संबंध है और इस संबंध में समग्र बातों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है तथा बच्चों की खरीद-फरोख्त को रोकने के साथ-साथ बच्चों को विभिन्न व्यवसायों में लगाने की प्रथा को रोकना है, विशेष रूप से निकृश्टतम रूप में जिनमें बच्चों को रोजगार में लगाया जाना केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि शोषणकारी भी है।

(समन्वयक : श्री टी. चुबायंगर, श्रम विभाग, नागालैण्ड सरकार)

(ii) भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी का स्वरूप और चुनौतियां

यह अध्ययन उत्तर-पूर्व राज्यों में युवा बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित है। जहां राज्यों में आर्थिक विकास धीमा है और इनकी जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और भविष्य में बढ़ने की आशा है। उपरोक्त संदर्भ में यह युवा बेरोजगारी की प्रकृति और व्यापकता, उनकी विभिन्न चुनौतियों तथा अर्थव्यवस्था पर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। अध्ययन के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं- (क) विभिन्न सेक्टरों में रोजगार के विस्तार तथा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हुए सैक्टोरल परिवर्तन की पृष्ठभूमि में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में श्रम बाजार परिदृश्य को ढालना; (ख) युवा बेरोजगारी तथा आपूर्ति पक्ष के कारणों के सह-संबंधों का सिलसिलेवार विश्लेषण; (ग) संकटकालीन विकल्प के रूप में शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास के महत्व को समझना। (घ) युवा बेरोजगारी के लिंगीय आयामों की समीक्षा करना; (ड.) मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बीच, बाजार स्थितियों के बीच अंतर का पता लगाना। यह अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है तथा इसमें तीन राज्य नामत: असम, नागालैण्ड एवं मणिपुर शामिल हैं।

(समन्वयक: डॉ. बी. किलंगला जमीर, नागालैण्ड विश्वविद्यालय)

(iii) पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार (आरएनएफई) के विकास, गठन तथा निर्धारक तत्व

कृषि उत्पादन के संबंध में लोच तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र में उच्चस्तरीय छिपी हुई बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी से यह पता चलता है कि इस क्षेत्र को ग्रामीण गरीबी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जैसा कि साहित्य की समीक्षा से संकेत मिलते हैं कि आरएनएफई पर होने वाले अधिकांश अध्ययन सम्पूर्ण देश या देश के किन्हीं हिस्सों से संबंधित हैं, और उत्तर-पूर्व राज्यों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं हुआ है। इन कारणों के आलोक में इस अध्ययन में यह प्रस्तावित है कि सामान्य रूप से उत्तर-पूर्व में और विशेष रूप से असम और मेघालय में आरएनएफई के निर्धारक तत्वों, विस्तार तथा प्रकृति पर सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाए। विशेष रूप से हमारे अनुसंधान का उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार के विकास, निर्धारक तत्वों, सेक्टोरल गठन, प्रकृति तथा प्रवृत्तियों का परीक्षण करना है। यह अध्ययन दोनों तरह के आंकड़ों, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित होगा। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े जनगणना, एनएसएसओ, सीएमआईई तथा अन्य प्रकाशनों से लिए जाएंगे। प्राथमिक आंकड़े 1000 परिवारों, जो असम और मेघालय के 5 जिलों में 10 गांव तक विस्तारित होंगे, से एकत्र किए जाएंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियां इस्तेमाल की जाएंगी।

(समन्वयक: डॉ. भागीरथी पाण्डा, पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलांग)

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र से शहरी केन्द्रों पर उत्प्रवास : दिल्ली क्षेत्र का एक अध्ययन

यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से सचल जनसंख्या (विशेषत: युवा) की उत्तर-पूर्व राज्यों से देश के मुख्य शहरी केन्द्रों पर मौजूदगी देखी जा रही है। ये केन्द्र मूल रूप से दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, चण्डीगढ़, पुणे तथा हैदराबाद आदि हैं। युवाओं की मौजूदगी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में, और सेवा सेक्टर के व्यवसायों में अन्य कार्यों में लगे देखी जा सकती हैं। प्रारंभिक रूप से एकत्र की गई जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत से यह पता चलता है कि युवा वर्ग का उत्तर-पूर्व राज्यों से शहरी केन्द्रों में उत्प्रवास के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं- (क) शैक्षिक (ख) रोजगार (ग) अन्य अनुकूल परिस्थितियां, जहां के स्थानीय श्रम बाजार में रोजगार की क्षीण संभावनाएं ही उत्तर-पूर्व क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास का मुख्य कारण हैं। शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार के घटते अवसर या उनकी संख्या में हो रही बढ़ोतरी के कारण उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का निम्न स्तर तथा आधुनिक सेक्टर और व्यवसायों का कम विस्तार है। क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा तथा गरीबी ने भी युवाओं के निर्णयों को प्रवास के लिए प्रभावित किया है। इसके साथ-साथ बड़े-बड़े शहरों में उनका काम करने का सपना और नई अर्थव्यवस्था में काम करने के अवसरों की तलाश भी उनके प्रवास का कारण हैं।

इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन युवाओं के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों से प्रवास, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके प्रवास फील्ड आधारित अध्ययन पर केन्द्रित होगा। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार है- (क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र में युवाओं के उत्प्रवास की विशेषताओं, प्रक्रिया,

विशिष्ट पैर्टन को समझना (ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षेत्र (अध्ययन क्षेत्र) में युवाओं के उत्प्रवास के मुख्य कारणों का विश्लेषण करना और उनकी पहचान करना (ग) ऐसे महत्वपूर्ण शहरी व्यवसायों का खाका तैयार करना जिनमें उत्तर-पूर्व क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के उत्प्रवास में सामाजिक नेटवर्किंग तथा संस्थागत/अभिकरण नेटवर्क की भूमिका का विश्लेषण करना (ड.) उत्तर-पूर्व क्षेत्र से प्रवासित कर्मकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों में जिन सांस्कृतिक समायोजनों का सामना किया जाता है उनके कारणों पर विचार-विमर्श करना (च) शहरी केन्द्रों में उत्तर-पूर्व राज्यों से प्रवासी युवाओं की दशाओं को सुधारने और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए आवश्यक सुझाव देना।

(समन्वयक: डॉ. बाबू पी. रमेश, इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

जारी परियोजनाएं

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन और महिलाओं के बीच व्यावसायिक ढांचे तथा पैटर्न में परिवर्तन

देश के भीतर वित्तीय दशा सुधारने और स्वरोजगार सृजन के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों (i) एसएचजी बैंक-नाबार्ड का लिंकेज कार्यक्रम और (ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एसजीएसवाई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ने स्वयं सहायता समूह मॉडल अपनाया है। दोनों कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों के गठन और स्व-रोजगार सृजन के लिए समाज की महिलाओं को लक्ष्य बनाया है। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एक आदर्श रूप में, माइक्रो सेविंग से शुरू करके माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो स्थापन तक जाता है। इस प्रकार यह माइक्रो आजीविका की वृद्धि के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करता है और गरीबी उन्मूलन काल है। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम उत्तर-पूर्व क्षेत्र की महिलाओं के विकास के आय सृजक कार्यकलापों तथा रोजगार सृजन के लिए सुसंगत है। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने महिला सदस्यों के बीच वित्तीय, समावेश तथा स्वरोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमका निभाई है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि जहां तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र का संबंध है, कई कारणों से, उनमें महिलाओं के बीच स्व-रोजगार सृजन पर एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम के प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बहुत से अध्ययन द्वितीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के प्रति एक पक्षीय हैं। मौटे तौर पर अध्ययन में दो विस्तृत मुद्दों पर विचार किया जाएगा: (क) प्रकाशित आंकड़ों का इस्तेमाल करके उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में महिलाओं के व्यावसायिक वितरण का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करना; (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन से पूर्व और पश्चात के चरणों में व्यावसायिक परिवर्तन पर एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के प्रभाव का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करना।

(समन्वयक: डॉ. शुब्रांशु त्रिपाठी, उद्यमता विकास संस्थान, गुजरात)

(ii) कार्यबल सहभागिता का अध्ययन और अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं का टाइम–यूज पैटर्न

पूर्वोत्तर भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में महिलाएं कृषि, खाना बनाने, घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, ईंधन लकड़ी तथा पानी लाने, जंगल के उत्पादों को एकत्र करने, पशुओं की देखभाल करने,

अनाज का भण्डारण आदि कार्यों में लगी हैं। परिवार के रख-रखाव का अधिकांश महत्वपूर्ण काम बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। उनका कार्य आयु, लिंग आय व्यावसायिक समूह, अवस्थिति, आकार, और परिवार के आकार के अनुसार भिन्नता रखता है क्योंकि महिलाओं का कार्य अधिकांशत: स्वयं के उपभोग के लिए होता है, उनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य को राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में 'कार्य' के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

उपरोक्त के संदर्भ में मौजूदा अध्ययन में भी यह प्रयास किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विशेष रूप से लिंगीय मुद्दों का विश्लेषण, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कार्य सहभागिता दर, उनके होने और उनकी उत्तरजीविता, शैक्षिक उपलब्धियों, रोजगार पैटर्न और निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी की दृष्टि से किया जाए। यह अध्ययन इस मुद्दे पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा टाइम यूज सर्वेक्षण के माध्यम से बनाए गए प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: (क) वर्ष 1971 से भारत तथा अरुणाचल प्रदेश में महिला श्रम बल सहभागिता के क्षेत्रीय पैटर्न तथा अंत: अल्पकालिक परिवर्तनों का अध्ययन (ख) अरुणाचल प्रदेश में कार्यबल सहभागिता में अंत: जिला भिन्नताओं और स्तरों का अध्ययन; (ग) अरुणाचल प्रदेश के उन गांवों में, जिनका सर्वेक्षण किया गया है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों पर लगाए गए समय का अध्ययन; (घ) श्रम विभाजन की मौजदूगी की जांच (एसएनए, विस्तारित एसएनए तथा गैर–एसएनए कार्य में) राज्य की विभिन्न अनुसूचित जन जातियों के बीच लिंग के अनुसार; (ड.) विभिन्न गतिविधियों पर महिलाओं के टाइम-यूज पैटर्न पर सामाजिक-आर्थिक स्तर, शिक्षा तथा आयु जैसे पृष्ठभूमि विशेषताओं के प्रभाव की जांच करना।

(समन्वयक: डॉ. वंदना उपाध्याय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर)

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों में फसल के पैटर्न में परिवर्तन और किसानों तथा कर्मकारों की आजीविका, आय, रोजगार पर उसका प्रभावः त्रिपुरा का एक वैयक्तिक अध्ययन

भारत के कुल श्रम बल का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है जबकि उनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1/5 भाग से कुछ ज्यादा है। कृषि और इसके ऊपर निर्भर जनसंख्या के आकार से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के बीच बेमेलता ने विभिन्न सेक्टरों में लगे कर्मकारों के बीच प्रति व्यक्ति आय की खाई को चौड़ा कर दिया है। कृषि क्षेत्र में फसल के पैटर्न में खाद्य फसलों से नकदी फसलों में परिवर्तन हुए हैं तथा सुधार के बाद की अवधि में प्रतिस्थापन की दी में बढ़ोत्तरी हुई है । नकदी फसलों के लिए फसलों के पैटर्न में परिवर्तन से रोजगार की लोच में कमी आई है और किसान बाजार की चंचलता के संपर्क में आए हैं। फसलों की नकदी फसलों में विविधता को, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, इस पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। क्षेत्र में सामाजिक रूप से कमजोर अनुपात समूह राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।

भारत में व्यापार उदारवाद के सन्दर्भ में फसलों के पैटर्न में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण मोटे तौर पर माइक्रो स्तर पर किया गया है। इसमें कृषि के निर्यात, कृषि की रोजगार लोच, कृषि वृद्धि में उच्च मूल्य की फसलों की भूमिका और लोगों के निवेश में कमी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। साहित्य

के गहन अध्ययन ने यह पता चलता है कि मैक्रो स्तर पर यह मान लिया गया है कि फसलों के पैटर्न में आए परिवर्तनों ने देश के सभी समाजों को समान रूप से प्रभावित नहीं किया है। मौजूदा अध्ययन में उन राज्यों के श्रम बाजार, मजदूरी और रोजगार पर परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नजर नहीं डाली गई है, जहां सामाजिक रूप से कमजोर समूहों का जनसंख्या में बड़ा हिस्सा है। इन अध्ययनों में माइक्रो स्तर पर केवल द्वितीयक सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि क्षेत्र विशिष्ट और सामाजिक समूह विशिष्ट नीति विकसित नहीं की जा सकती। इसी पृष्ठभूमि में मौजूदा अध्ययन में एकत्र समझदारी में अन्तर को पाटने का प्रयास त्रिपुरा के मामले के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: (क) त्रिपुरा में फसलों के पैटर्न में परिवर्तन का रोजगार कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी, सभी सामाजिक समूहों के बीच किसानों की आय और आर्थिक श्रेणियों पर प्रभाव; (ख) त्रिपुरा में निर्यात उन्मुख/औद्योगिक कच्चा माल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव और फर्मों पर आश्रित जनसंख्या के रोजगार तथा वास्तविक मजदूरी और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव; (ग) विवेकपूर्ण फसल मिश्रण का अध्ययन और सुझाव जिससे त्रिपुरा के लोगों के निरन्तर चलने वाले व्यवहार्य आजीविका स्तर को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(समन्वयक: डॉ. मोहना कुमार, विकास अध्ययन संस्थान, जेपोर)

संचालित प्रमुख संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्र ने संस्थान के परिसर में 30-31 मार्च 2012 को ''पूर्वोत्तर-क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार प्रवृत्तियाँः चुनौतियां एवं अवसर'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन श्री पी.के. पाधी, प्रधान श्रम एवं रोजगार सहलाकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और श्री वी.पी. यजुर्वेदी, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किया गया था। विभिन्न पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं संगठनों से 82 भागीदारों ने संगोष्ठी में भाग लिया। पांच तकनीकी सत्रों में नामत: रोजगार की प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, लिंग एवं कार्य, उत्प्रवास एवं युवा बेरोजगारी, आजीविका कार्यनीतियाँ, मनरेगा और पूर्वोत्तर एवं क्षेत्रीय विश्लेषण पर लगभग 28 अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए गए थे। प्रो. महेद्र पी. लामा, उपकुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय ने संगोष्ठी में विदाई भाषण दिया।

केन्द्र ने संस्थान के परिसर में 12-16 मार्च 2012 के दौरान श्रम एवं संबंधित अध्ययनों पर पूर्वोत्तर अनुसंधानकर्त्ताओं की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों से अनुसंधान अध्येयताओं के लिए श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियों पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया।

जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केन्द्र

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत में जहां लोगों की बहुत बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन अनौपचारिक क्षेत्र है, वहां जलवायु परिवर्तन संकटपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसका संबंध कार्य की दुनिया से स्थापित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एक नए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 2010 में की है, इस नए केन्द्र का नाम जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केन्द्र रखा गया है। इस अनुसंधान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति अभिमुखीकरण अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न रूप से हैं:

केन्द्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तःसंबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका की अंगीकरण तथा प्रवास रणनीतियों का मूल्यांकन-जलवायु की नाजुक स्थिति, मैक्रो, मैसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवास पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा आम जनता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो आजीविका खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सैक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती ऐसे समुदाय तथा अनुसूचित जनजातियां जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों का पुन: ओरिएंटेशन करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने और उत्पादन प्रक्रिया को समझने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- अति-अनिश्चित मानसून तथा बाढ़, सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी के साथ खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध स्थापित करके इसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना।
- जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने और आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए मनरेगा की भूमिका की समीक्षा।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- उत्प्रवास प्रक्रिया को तेज करने में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय कोपिंग क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न पणधारियों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसकी संभावनाएं और विभिन्न अंगीकरण तथा प्रवास रणनीतियों के संबंध में निर्माण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

संचालित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्र ने 17-19 अगस्त 2011 के दौरान जलवायु परिवर्तन एवं आजीविका मुद्दों पर पहली बार 3 दिवसीय कार्यक्रम संचालित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं आजीविका के बीच आन्तरिक संबंधों को समझना था कि कैसे जलवायु परिवर्तन गरीब लोगों की आजीविका, उनके कोपिंग तंत्रों एवं वैकल्पिक अनुकूलन कार्य नीतियां को प्रभावित करता है। गैर-सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों एवं विश्वविद्यालयों से लगभग 17 भागीदारों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

केन्द्र ने जागरूकता पैदा करने के लिए अपने एक सप्ताह की अवधि के सभी राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ''जलवायु परिवर्तन एवं श्रम पर इसके प्रभाव'' पर एक मॉड्यूल भी संचालित किया।

अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्र

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक इतिहास संस्थान और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहल की हैं, जिनसे न केवल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन जैसे संस्थानों के साथ दीर्घकालीन तथा नए संबंधों का निर्माण हुआ है। इन संस्थानों में जिन क्षेत्रों में सहयोग का आदान-प्रदान किया जा रहा है, उनमें बाल श्रम की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम, श्रम प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंग मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई) से सहयोग के भाग के रूप में वीवीजीएनएलआई का प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें श्री वी. पी. यजुर्वेदी, महानिदेशक एवं डॉ. एस.के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो शामिल थे, ने 7-8 दिसम्बर 2011 में केएलआई का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने भावी सहयोगात्मक कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। केएलआई एवं वीवीजीएनएलआई ने इस अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध एवं न्यूनतम मजदूरी पर एक संगोष्ठी संयुक्त रूप से भी आयोजित की थी। केएलआई एवं वीवीजीएनएलआई द्वारा संबंधित विषयों पर संस्थान द्वारा संचालित हाल के अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा करने के क्रम में प्रस्तुतीकरण किया गया था।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2011-2012 के दौरान संस्थान ने वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, अनुसंधान पद्धतियाँ और लिंगीय मुद्दे जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर 6 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में 52 देशों के 185 सहभागियों ने भाग लिया।

संस्थान ने मॉर्डन इंडियन स्टडीज, गोटींजन विश्वविद्यालय, जर्मनी एवं आईजीके वर्क एवं वैश्विक इतिहास में मानव जीवनचक्र, हम्बोट् विश्वविद्यालय, जर्मनी के सहयोग से और भारतीय श्रम इतिहासकारों

के सहयोग से 3-7 अक्टूबर 2011 के दौरान एक ग्रीष्म कालीन अकादमीः वर्किंग लाइब्ज इन ग्लोबल हिस्ट्री का आयोजन किया। ग्रीष्मकालीन अकादमी में विश्वभर के 10 देशों से 60 श्रम इतिहासकारों और अनुसंधान अध्येयताओं ने भाग लिया।

संस्थान ने अपने परिसर में 31 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2011 तक अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए *श्रम प्रशासन एवं नेतृत्व* पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य सरकार के अनुरोध पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 26 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:

महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई (directorgeneralvvgnli@gmail.com)

प्रशिक्षण और शिक्षा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। अन्य विषयों के अतिरिक्त, अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है तथा अनुसंधान से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को अद्यतन बनाने के साथ-साथ प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनर्रचना के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से लगातार प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में रचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक संरचनात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, सामूहिक चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन लीडर तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र के कामगार तथा श्रम समस्याओं से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2011-2012 के दौरान संस्थान ने 132 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3655 कार्मिकों ने भाग लिया। इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहलें शुरू की:

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण और प्रवर्तन, अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। 09 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 204 सहभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासन पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों और कार्मिक अधिकारियों को भागीदारीपूर्ण प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान ऐसे 13 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 368 सहभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों प्रकार की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्ष के दौरान ऐसे 47 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1289 सहभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक एसोसिएशन, गैर-सरकारी संगठन, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, सामाजिक कार्य से जुड़े विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान ऐसे 06 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 164 सहभागियों ने भाग लिया।

श्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विभिन्न लक्ष्य समूहों को, जैसे कि श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, ताकि वे श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वैश्वीकरण और श्रम बाजार परिवर्तनों के निहितार्थों को समझ सकें। वर्ष के दौरान ऐसे 09 कार्यक्रम किए गए जिनमें 266 सहभागियों ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पैनल पर है जो आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इस अवधि के दौरान संस्थान

ने विभिन्न विषयों, जैसे कि स्वास्थ्य मामलों, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, श्रम में लिंगीय मुद्दे, श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 52 देशों से 185 विदेशी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

पूर्वोत्तर राज्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान इन कार्यक्रमों पर अधिक जोर देता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई बड़े संगठित प्रयास नहीं किए गए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण अनुसूची में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने इस विषय पर 12 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 300 कार्मिकों ने भाग लिया है।

अनुसंधान विधि कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानो में युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ-साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने हेतु उनकी मदद के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 04 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 80 भागीदारों ने भाग लिया।

सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महात्मा गांधी श्रम संस्थान गुजरात, मनोमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय तिरुनेलवली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुबंई, केरल श्रम अध्ययन संस्थान, त्रिवेंद्रम, पश्चिम बंगाल राज्य श्रम संस्थान, कोलकाता, तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान, चेन्नई के साथ सहयोग करके विनिर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, बाल श्रम और श्रम कानून, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, श्रम अध्ययन में अनुसंधान प्रविधियां आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष के दौरान ऐसे 13 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 430 सहभागियों ने भाग लिया।

आन्तरिक कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से तैयार किए गये बने–बनाए कार्यक्रम हैं। संस्थान ने रिजर्व बैंक ऑफ

इण्डिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), अन्तर्राष्ट्रीय भवन एवं काष्ठ कामगारों (बीडब्ल्यूआई) के लिए 10 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 283 सहभागियों ने भाग लिया।

अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)			
1.	अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी : भूमिका और कार्य, 11-15 अप्रैल 2011	05	19	संजय उपाध्याय
2.	सुलह को प्रभावी बनाना, 16-20 मई 2011	05	4	ओंकार शर्मा
3.	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्त्तन, 20-24 जून 2011	05	28	ओंकार शर्मा
4.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन, 1-5 अगस्त 2011	05	21	संजय उपाध्याय
5.	कल्याण कानूनों का प्रभावी प्रवर्त्तन, 23-26 अगस्त 2011	4	7	ओंकार शर्मा
6.	भवन तथा अन्य विनिर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन, 16-19 अगस्त 2011	4	34	पी. अमिताव खुंटिया
7.	भवन तथा अन्य विनिर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन, श्रीनगर, 13-14 अक्तूबर 2011	05	30	ओंकार शर्मा
8.	असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम, 31 अक्तूबर - 4 नवम्बर, 201	5	26	ओंकार शर्मा
9.	वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध तथा श्रम प्रशासन, 19-22 दिसम्बर 2011	04	25	एस. के. शशिकुमार
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)				
10.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, 18-21 अप्रैल 2011	04	21	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
11.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना, 16-21 मई 2011	06	25	पूनम एस. चौहान
12.	प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता और उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, 6-9 जून 2011	04	16	एम.एम. रहमान
13.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना, 4-9 जुलाई 2011	06	19	पूनम एस. चौहान
14.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारिक दृष्टिकोण, 18-21 जुलाई 2011	04	43	पूनम एस. चौहान
15.	ठेका श्रम पर सर्वेक्षण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14 जुलाई 2011	01	50	संजय उपाध्याय
16.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध तथा ट्रेड यूनिनवाद, 5-8 सितम्बर 2011	04	30	एस. के. शशिकुमार
17.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना, 26 सितम्बर–01 अक्तूबर 2011	06	09	पूनम एस. चौहान
18.	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारिक कौशल 28 नवम्बर-2 दिसम्बर 2011	05	48	पूनम एस. चौहान
19.	कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथामः एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया सेवा (आईएलओ), 23 दिसम्बर 2011	01	22	रूमा घोष
20.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, 9-12 जनवरी 2012	04	19	पी. अमिताव खुंटिया
21.	वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनिनवाद, 06-09 फरवरी 2012	4	36	एस. के. शशि कुमार
22.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 21-25 फरवरी, 2012	6	30	पूनम एस. चौहान
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)				
23.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास 11-15 अप्रैल 2011	05	38	एम. एम. रहमान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
24.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना, 11-15 अप्रैल 2011	05	21	शशिबाला
25.	प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना, 25-29 अप्रैल 2011	05	26	अनूप सतपथी
26.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास, 9-13 मई 2011	05	28	एम.एम. रहमान
27.	ट्रेड यूनियन नेताओं (एससी) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 9-13 मई 2011	05	26	एम.एम. रहमान
28.	बीड़ी कर्मकारों के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना, 23-27 मई, 2011	05	31	एम.एम. रहमान
29.	प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना, 30 मई - 03 जून 2011	05	24	अनूप सतपथी
30.	भवन एवं विनिर्माण कामगारों के लिए नेतृत्व विकास, 30 मई -3 जून 2011	05	44	एम. एम. रहमान
31.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 27 जून -1 जुलाई 2011	05	40	संजय उपाध्याय
32.	ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाना, 20 - 24 जून 2011	05	25	रिंजू रसाइली
33.	चायबागान कामगारों के लिए नेतृत्व कौशल विकास, 13-17 जून 2011	05	28	एम.एम. रहमान
34.	सामाजिक सुरक्षा का विकास, 29 जून-01 जुलाई 2011	03	25	एम.एम. रहमान
35.	खनिज खदान कामगारों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान के तहत ग्रामीण श्रम कैम्प, बुन्देलखण्ड, झांसी 20 जून, 2011	01	51	एम.एम. रहमान
36.	आईबीएम एसपीएसएस सांख्यिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 जून 2011	01	20	एलीना सामंतराय

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
37.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं (एसटी) के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 18-22 जुलाई 2011	05	29	अनूप सतपथी
38.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं (एससी) के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 4-8 जुलाई 2011	05	07	संजय उपाध्याय
39.	परिवहन कर्मकारों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाना, 11-15 जुलाई 2011	05	23	एम.एम. रहमान
40.	स्वयं सहायता ग्रुप को सुदृढ़ बनाना, 25-29 जुलाई 2011	05	23	एम.एम. रहमान
41.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, 4 - 8 जुलाई 2011	05	15	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
42.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा, 11-15 जुलाई 2011	05	22	रूमा घोष
43.	एचएमएस ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 28-29 जुलाई 2011	02	27	संजय उपाध्याय
44.	कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा पर एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम, 22 जुलाई 2011	01	45	एम.एम. रहमान
45.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं (एससी) के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 8-12 अगस्त 2011	5	23	अनूप सतपथी
46.	कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानूनों पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, 23-26 अगस्त 2011	4	12	शशि बाला
47.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा, 8-12 अगस्त 2011	5	18	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
48.	जलवायु परिवर्तन एवं आजीविका मामले, 17-19 अगस्त 2011	03	25	अनूप सतपथी एवं राखीथिमोथी
49.	बीएमएस ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास, 29 अगस्त - 02 सितम्बर 2011	05	40	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
50.	एआईटीयूसी के विनिर्माण कामगारों एवं नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1-5 अगस्त 2011	05	40	एम.एम. रहमान, हेलन आर. सेकर
51.	ओर्छा, मध्य प्रदेश में एकदिवसीय ग्रामीण श्रम कैम्प, 18 अगस्त 2011	01	59	एम. एम. रहमान
52.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन लीडरों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 26 - 30 सितम्बर 2011	5	33	शशि बाला
53.	नेतृत्व कौशलों को उन्नत बनाना, 12 - 16 सितम्बर 2011	5	22	रिंजू रसाइली
54.	सामाजिक सुरक्षा को विकसित करना, 19 - 23 सितम्बर 2011	5	30	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
55.	ओर्छा, मध्यप्रदेश में एकदिवसीय ग्रामीण श्रम कैम्प, 03 सितम्बर 2011	01	80	एम. एम. रहमान
56.	ग्रामीण बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 31 अक्तूबर - 04 नवम्बर 2011	5	20	एम.एम. रहमान
57.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन लीडरों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 28 नवम्बर – 02 दिसम्बर 2011	5	21	पी. अमिताव खुंटिया
58.	परिवहन कामगारों के नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना, 14 - 18 नवम्बर 2011	5	27	पूनम एस. चौहान
59.	श्रम में लैंगिक मुद्दे, 21 - 25 नवम्बर 2011	5	16	शशि बाला
60.	खनन कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सशक्तीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुंदेलखण्ड झांसी, 9 नवम्बर 2011	01	10	एम.एम. रहमान
61.	सामाजिक सुरक्षा को विकसित करना, 12 - 16 दिसम्बर 2011	05	36	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
62.	भारत में जेण्डर रिस्पोंसिव बजटिंग, 5 - 9 दिसम्बर 2011	05	10	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
63.	बुंदेलखण्ड के पंचायत प्रधानों/सरपंचों के लिए जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम, झांसी, 10 दिसम्बर 2011	01	30	एम. एम. रहमान
64.	श्रम में लैंगिक मुद्दे, 23 - 27 जनवरी 2012	05	23	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
65.	कार्य की दुनिया में विभेदीकरण को मिटाना, 30 जनवरी – 03 फरवरी 2012	05	18	शशि बाला
66.	लिंग, गरीबी एवं रोजगार, 9-13 जनवरी 2012	05	22	शशि बाला
67.	सेवा क्षेत्र के ट्रेड यूनियन लीडरों के लिए नेतृत्व विकास, 16 - 20 जनवरी 2012	05	16	संजय उपाध्याय
68.	कौशल विकास कार्यनीतियों का विकास, 06-09 फरवरी 2012	04	21	पी. अमिताव खुंटिया
69.	लिंग, गरीबी एवं रोजगार, 19 - 23 मार्च 2012	05	18	रिंजू रसाइली
बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)				
70.	अध्यापक एसोशिएसनों के सदस्यों के लिए बाल श्रम पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 5-8 अप्रैल 2011	04	24	हेलन आर. सेकर
71.	बाल श्रम पर संपरिवर्तन कार्यक्रम, 28-30 जून 2011	03	17	हेलन आर. सेकर
72.	बाल श्रम पर एनजीओ के लिए उन्मुखी कार्यक्रम, 20-23 सितम्बर 2011	04	27	हेलन आर. सेकर
73.	बाल श्रम पर उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, श्रीनगर 11-12 अक्तूबर 2011	02	37	हेलन आर. सेकर
74.	बाल श्रम से निपटने में युवाओं की क्षमता को बढ़ाना, 12-15 दिसम्बर 2011	04	31	पी. अमिताव खुंटिया

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
75.	बाल श्रम प्रथाओं से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थानों की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना, 6-8 मार्च 2012	04	28	हेलन आर. सेकर
अनुसंधान विधि कार्यक्रम (आरएमपी)				
76.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम, 25 - 29 जुलाई 2011	05	26	एलीनासामन्तराय, धन्या एम.बी.
77.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम, 29 अगस्त-02 सितम्बर 2011	05	22	एलीनासामन्तराय, धन्या एम.बी.
78.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक विधियों पर पाठ्यक्रम, 16-27 जनवरी 2012	12	16	रूमा घोष
79.	श्रम अर्थव्यवस्था में अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम, 21 फरवरी - 12 मार्च 2012	21	16	अनूप सतपथी, राखी थिमोथी, पी. अमिताव खुंटिया
80.	श्रम अध्ययन में अनुसंधान की विधियां, 12-16 मार्च 2012	05	28	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
स्वास्थ्य मुद्दों संबंधी कार्यक्रम (एचआईपी)				
81.	कामगारों की उभरती स्वास्थ्य चिंताएं, 18 - 22 अप्रैल 2011	05	41	रूमा घोष
82.	कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 23-27 मई 2011	05	12	रूमा घोष
83.	स्वास्थ्य सुरक्षा विकसित करना, 20-24 जून 2011	05	20	रूमा घोष
84.	बंगलौर, कर्नाटक में भारत इलैक्ट्रॉनिक लि. के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स संबंधी राष्ट्रीय नीति पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 18 जुलाई 2011	01	50	रूमा घोष

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
85.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 21 जुलाई 2011	01	38	रूमा घोष
86.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 26 जुलाई 2011	01	35	रूमा घोष
87.	महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 1-5 अगस्त 2011	05	15	रूमा घोष
88.	कामगारों के लिए लिंग एवं स्वास्थ्य मामलों पर उन्मुखी कार्यक्रम, 23-26 अगस्त 2011	04	30	रिंजू रसाइली
89.	स्वास्थ्य सुरक्षा का विकास, 10-14 अक्तूबर 2011	05	25	पी. अमिताव खुंटिया
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)				
90.	कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम, 5-23 सितम्बर 2011	19	23	रूमा घोष
91.	नेतृत्व विकास, 10-28 अक्तूबर 2011	19	30	पूनम एस. चौहान
92.	अफगास्तिान के अधिकारियों के लिए श्रम प्रशासन एवं नेतृत्व, 31 अक्तूबर – 04 नवम्बर 2011	05	26	पूनम एस. चौहान
93.	अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन अकादमी-कार्य जीवन (जर्मनी) 1-9 अक्तूबर 2011	09	60	एस. के. शशिकुमार
94.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, 7-25 नवम्बर, 2011	19	27	एस. के. शशिकुमार
95.	विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, 5-23 दिसम्बर 2011	19	26	एम. एम. रहमान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
96.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, 09 - 27 जनवरी 2012	19	26	अनूप सतपथी
97.	श्रम में लैंगिक मुद्दे, 6-24 फरवरी 2012	19	32	शशि बाला
98.	श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां, 5-23 मार्च 2012	19	21	एस. के. शशिकुमार
सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)				
99.	अगाते कामगारों (एमजीएलआई) के जीवन–स्तर में सुधार लाना, 08-09 अगस्त 2011	02	46	पूनम एस. चौहान
100.	मनोमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवली, तमिलनाडु में युवा कल्याण विभाग के सहयोग से एनएसएस और युवा रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17-19 अगस्त 2011	03	37	एलीनासामन्तराय, धन्या एम.बी.
101.	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, एमआईएलएस, मुम्बई, 21-23 सितम्बर 2011	03	40	एम. एम रहमान
102.	बाल श्रम के उन्मूलन हेतु क्षमता निर्माण, एमजीएलआई, गुजरात 14-16 सितम्बर 2011	03	30	हेलन आर. सेकर
103.	गुजरात राज्य के लिए ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 12-13 सितम्बर 2011	02	30	पूनम एस. चौहान
104.	एआईएलएस मुम्बई में श्रम कानून पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 21-23 सितम्बर 2011	03	27	ओंकार शर्मा
105.	श्रम निरीक्षण मशीनरी (एमआईएलएस) के समक्ष औद्योगिक संबंध एवं चुनौतियां, 19-21 अक्तूबर 2011	03	29	ओंकार शर्मा
106.	त्रिवेंद्रम (केआईएलई) में महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 19-21 अक्तूबर 2011	03	30	धन्या एम.बी.

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
107.	प्रशिक्षण जरूरत निर्धारण कार्यक्रम, आईएलओ, 17 अक्तूबर 2011	01	15	हेलन आर. सेकर
108.	प्रभावी नेतृत्व के संबंध में असंगठित कामगारों को संगठित करना (डब्ल्युबीएसएलआई), 14-16 नवम्बर 2011	03	41	एम. एम. रहमान
109.	कर्नाटक के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, केएलआई बंगलौर, 24-25 नवम्बर 2011	02	40	एम. एम रहमान, पूनम एस. चौहान
110.	श्रम कानूनों का प्रवर्तन (टीआईएलएस), 10-13 जनवरी 2012	04	35	ओंकार शर्मा
111.	सुलह एवं अर्ध न्यायिक अधिकारियों की भूमिका, (टीआईएलएस), 20-22 फरवरी 2012	03	30	ओंकार शर्मा
उत्तर-पूर्वी राज्यों के कार्यक्रम (एनईटी)				
112.	श्रम मामलों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, 4-8 अप्रैल 2011	05	08	शशि बाला
113.	श्रम कानूनों की मौलिकता, 6-10 जून 2011	05	48	संजय उपाध्याय
114.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 13-17 जून 2011	05	34	पूनम एस. चौहान
115.	बागान कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 29 अगस्त– 02 सितम्बर 2011	05	8	एम. एम. रहमान
116.	श्रम मामलों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, 8-12 अगस्त 2011	05	15	शशि बाला
117.	नागालैण्ड सरकार के श्रम अधिकारियों के लिए कोहिमा में भवन एवं अन्य विनिर्माण कामगार अधिनियम, 8-9 सितम्बर 2011	02	30	ओंकार शर्मा
118.	कौशल विकास कार्यक्रम, 31 अक्तूबर – 4 नवम्बर 2011	05	24	आतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
119.	कौशल विकास कार्यक्रम, 3-7 अक्तूबर 2011	05	19	एम. एम. रहमान
120.	कौशल विकास कार्यक्रम, 26-30 दिसम्बर 2011	05	28	आतोजीत क्षेत्रिमयूम
121.	श्रम कानूनों की मौलिकता, 27-02 फरवरी 2012	05	33	संजय उपाध्याय
122.	लिंग, गरीबी एवं रोजगार, 12-16 मार्च 2012	05	26	रिंजू रसाइली
इन–हाउस कार्यक्रम				
123.	शिमला में आरबीआई के लिए प्रभावी रूप से कार्य प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 4-8 अप्रैल 2011	05	29	पूनम एस. चौहान
124.	आरएसबीवाई राज्य नोडल एजेंसियों का प्रशिक्षण, 26-28 सितम्बर 2011	3	25	रूमा घोष
125.	भवन एवं काष्ठ कामगार अन्तर्राष्ट्रीय (बीडब्ल्यूआई) के सहयोग से ट्रेड यूनियनों की एनसीएलपी-भूमिका के जरिए बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन, 19-21 अक्तूबर 2011	03	20	हेलन आर. सेकर
126.	शिवसागर, असम में ओएनजीसी के लिए संविदा श्रम का प्रबंधन, 14-16 नवम्बर 2011	03	30	ओंकार शर्मा
127.	नई दिल्ली में ओएनजीसी के लिए संविदा श्रम का प्रबंधन, 28 दिसम्बर 2011	01	32	ओंकार शर्मा
128.	एएनएसआईएसएस, पटना, बिहार में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कानून प्रवर्त्तन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएलओ), 7-9 दिसम्बर 2011	03	28	हेलन आर. सेकर
129.	स्किपा, रांची, झारखण्ड में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कानून प्रवर्त्तन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएलओ), 12-24 दिसम्बर 2011	03	26	हेलन आर. सेकर

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
130.	चोकीधानी, इंदौर, मध्य प्रदेश में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कानून प्रवर्त्तन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएलओ) 21-23 दिसम्बर 2011	03	28	हेलन आर. सेकर
131.	एफसीआई के लिए संविदा श्रम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4-6 जनवरी 2012	03	25	ओंकार शर्मा
132.	भुवनेश्वर, उड़ीसा में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कानून प्रवर्त्तन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएलओ), 17-19 जनवरी, 2012	03	40	हेलन आर. सेकर

vi\y] **2011** ls ekp] **2012** d nkjku vk;kftr if'k{k.k dk;Øe

Øe l-	dk;Øe dk uke	dk;Øek dh l-	dk;Øe d fnuk dh l-	lgHkkfx;k dh l[;k
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	09	39	204
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	13	55	368
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	47	205	1289
4.	बाल श्रम कार्यक्रम	06	20	164
5.	अनुसंधान विधि कार्यक्रम	04	43	80
6.	स्वास्थ्य मुद्दों संबंधी कार्यक्रम	09	32	266
7.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	09	147	271
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम	13	35	430
9.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम	12	57	300
10.	इन-हाउस कार्यक्रम	10	30	283
	;kx	**132**	**663**	**3655**

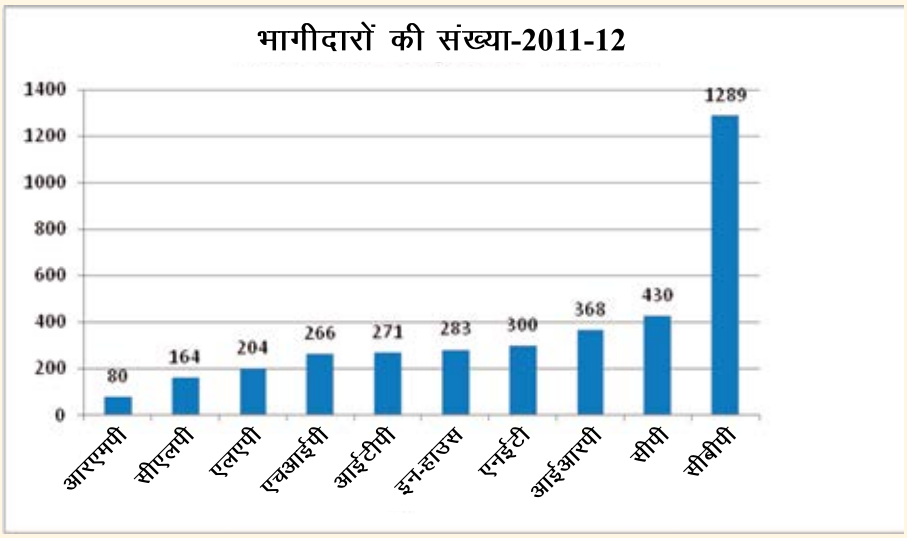
भागीदारों की संख्या-2011-12
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
80
164
204
266
271
283
300
368
430
1289
आरएमपी
सीएलपी
एलएपी
एचआईपी
आईटीपी
इन-हाउस
एनईटी
आईआरपी
सीपी
सीबीपी

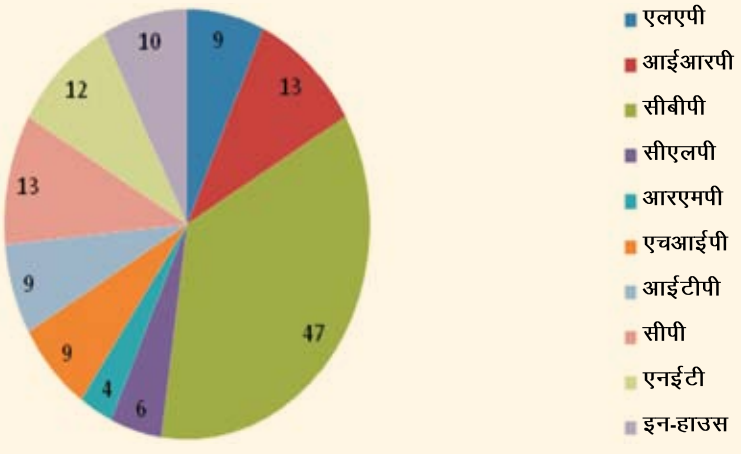
कार्यक्रमों की संख्या-2011-2012
9
13
47
6
4
9
9
13
12
10
एलएपी
आईआरपी
सीबीपी
सीएलपी
आरएमपी
एचआईपी
आईटीपी
सीपी
एनईटी
इन-हाउस

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर, और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार-प्रसार करने का वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान, जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है। कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं:

नियमित प्रकाशन

- *लेबर एण्ड डेवलपमेंट* : संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक छमाही जर्नल है। यह जर्नल सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

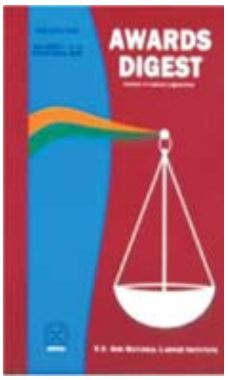

- *अवार्ड्स डाइजेस्ट* : यह एक द्विमासिक पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णयज विधियों का सारांश प्रकाशित किया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

- *श्रम विधान* : यह एक द्विमासिक हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णयज विधि का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

- *वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष :* एक द्विमासिक समाचार पत्र है जिसके माध्यम से संस्थान की सभी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रचार किया जाता है।

- *चाइल्ड होप* संस्थान का त्रैमासिक न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में उनके प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बालश्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

यह संस्थान, संस्थान के अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए *एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला* शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 93 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है, जिनमें से नवीनतम हैं- निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्डों के श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे: - ओखला एवं नौएडा का एक वैयक्तिक अध्ययन।

अन्य नवीनतम प्रकाशन

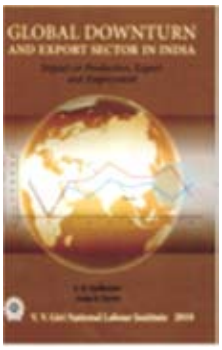

- वैश्विक मंदी एवं भारत में निर्यात क्षेत्र।
- कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर आईटीआई अध्यापकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल।
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (1919-2011) के भारतीय प्रतिनिधियों एवं सलाहकारों की सूची।
- वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 (अंग्रेजी-हिन्दी)।
- प्रशिक्षण कैलेण्डर 2012-2013 (अंग्रेजी-हिन्दी)।

एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र

एन.आर.डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केन्द्र है। केन्द्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतीश आर. डे की स्मृति में जुलाई, 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर.डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र रखा गया था। केन्द्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1. भौतिक सम्पदा

पुस्तकें: अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक पुस्तकालय में 163 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र-पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों की संख्या 63,934 तक पहुंच गई।

पत्र-पत्रिकाएं: समीक्षाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालय में 194 व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाएं, मैंगजीन जो मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक फार्म के रूप में थी, का अंशदान किया।

2. सेवाएं

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- सूचना का चयनात्मक प्रचार-प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- संदर्भ सेवा
- आन-लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिपोग्राफिक सेवा
- सीडी-रोम सर्च
- दृश्य-श्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय-वस्तु सेवा
- लेख सचेत सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर-लाइब्रेरी लोन सेवा

3. उत्पाद

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करवाता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केन्द्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल एलर्ट-साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की गई है।
- वर्तमान विषय-वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय-वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल एलर्ट सर्विस: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।

4. विशिष्टीकृत संसाधन केन्द्रों का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में तीन विशिष्टीकृत संसाधन केन्द्रों का सृजन किया गया है और उनका रखरखाव संदर्भ सेवाओं के लिए किया जाता है:

i) राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र

ii) राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केन्द्र

iii) एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी सेल का गठन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमश: 31.05.2011, 27.09.2011, 28.12.2011 और 29.03.2012 को नियमित रूप से आयोजित की गई थी। इन बैठकों के दौरान, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की। कार्यशालाएं 31.05.2011, 28.09.2011, 27.12.2011 और 28.03.2012 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और दिन-प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2011, 30 जून 2011, 30 सितम्बर 2011 और 31 दिसम्बर 2011 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित आधार पर और समय से पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजी गयी।

हिन्दी पखवाड़ा

संस्थान में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 14 सितम्बर 2011 से 28 सितम्बर 2011 तक किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें टिप्पणी आलेखन, निबंध,

तत्काल वाक प्रतियोगिता, सुलेख एवं श्रुतलेख तथा हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। समापन सत्र 28.09.2011 को संस्थान के महानिदेशक श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी ने संबोधित किया गया था और पुरस्कार वितरित किए गए थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2011-2012 की अवधि के दौरान आयोजित किए गए 132 कार्यक्रमों में से 95 कार्यक्रम केवल हिन्दी भाषा में, 7 कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में आयोजित किए गए और 30 कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का मिला-जुला रूप इस्तेमाल किया गया।

कर्मचारियों की संख्या

(31.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

समूह	स्वीकृत संख्या	पदस्थ
महानिदेशक	1	1
फैकल्टी	15	14
समूह क	5	3
समूह ख	8	6
समूह ग	31	18
समूह घ	25	23
कुल	**85**	**65**

फैकल्टी

संस्थान के फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

संस्थान की फैकल्टी

	श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी, एम.टेक, एम.बी.ए.	**महानिदेशक**
1.	एस.के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच., डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	पूनम एस. चौहान, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
4.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पी.एच.डी	फेलो
5.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
6.	ओंकार शर्मा, एल.एल.एम., पीएच.डी.	फैलो
7.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल.	फेलो
8.	शशि बाला, एम.ए., पी.एच.डी.	फेलो
9.	राखी थिमोथी, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोशिएट फेलो
10.	प्रियदर्शन अमिताव खुंटिया, एम.ए., एम.फिल.	एसोशिएट फेलो
11.	ओतोजित क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	एसोशिएट फेलो
12.	रिंजू रसाइली, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोशिएट फेलो
13.	डॉ. एम.बी. धन्या, एम.ए., पीएच.डी	एसोशिएट फेलो
14.	डॉ. एलीना सामंतराय, एमफिल., पीएच.डी.	एसोशिएट फेलो

अधिकारी

1.	जे.के. कौल, डीबीए. पीजीडीटीडी	कार्यक्रम अधिकारी
2.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए. (वित्त), एआईसीडब्ल्यूए	लेखा अधिकारी
3.	वी.के. शर्मा	सहायक प्रशासन अधिकारी
4.	एस.के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई.एससी.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
और
लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2011-12

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतमबुद्ध नगर) के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की पैरा-वार टिप्पणी

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का उत्तर
क	**तुलन पत्र**	
क.1	**आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-3):** परियोजना निधि में अथशेष 54,08,375.16 रुपये था जबकि अनुसूची 8 के अनुसार, चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम, परियोजना खाते में 45,05,434.54 रुपये का अथशेष था। 9,02,940.62 रुपये के अन्तर का लेखा समाधान करने की जरूरत है।	अन्तर पूर्ववर्ती वर्ष (2010-11) से संबंधित था और उक्त अन्तर को चालू वर्ष (2011-12) में ठीक कर लिया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान चूक के परिशोधन को ध्यान में रखते हुए आरक्षित एवं अधिशेष की अनुसूची 3 की कोई अतिरंजना नहीं है। अत: कृपया पैरा को छोड़ दिया जाए।
क. 2	**आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-3)** परिक्रामी कंप्यूटर निधि में अथशेष 3,86,312.00 रुपये था जबकि अनुसूची 7 के अनुसार निवेश लेखा परिक्रामी कम्प्यूटर निधि ने 31.03.2011 को 3,43,576.00 रुपये का अन्तशेष दिखाया था। अन्तर का लेखा समाधान करने की जरूरत है।	अन्तर पूर्ववर्ती वर्ष (2010-11) से संबंधित था और उक्त अन्तर को चालू वर्ष (2011-12) में ठीक कर लिया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान चूक के परिशोधन को ध्यान में रखते हुए आरक्षित एवं अधिशेष की अनुसूची 3 की कोई अतिरंजना नहीं है। अत: कृपया पैरा को छोड़ दिया जाए।
ख	**सहायता अनुदान:** 7.65 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान में से (योजना के तहत 4.5 करोड़ रुपये और गैर-योजना के तहत 3.15 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने वर्ष के दौरान अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग किया।	तथ्यपरक स्थिति, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च 2012 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के संलग्न तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखा-परीक्षा की है। यह लेखा-परीक्षा 2012-13 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य-निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखा-परीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा-परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखा-परीक्षा में, एक परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति शामिल है। लेखा-परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर बनाया गया है;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की जांच से पता चलता है, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा लेखाओं की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

क. तुलनपत्र

क.1 आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-3):

परियोजना निधि में अथशेष 54,08,375.16 रुपये था जबकि अनुसूची 8 के अनुसार, चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम परियोजना खाते में 45,05,434.54 रुपये का अथशेष था। 9,02,940.62 रुपये के अन्तर का लेखा समाधान की जरूरत है।

क.2 आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-3)

परिक्रामी कम्प्यूटर निधि में अथशेष 3,86,312.00 रुपये था जबकि अनुसूची 7 के अनुसार निवेश लेखा परिक्रामी कम्प्यूटर निधि ने 31.03.2011 को 3,43,576.00 रुपये का अन्तशेष दिखाया। अन्तर का लेखा समाधान करने की जरूरत है।

ख. सहायता अनुदान

7.65 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान में से (योजना के तहत 4.50 करोड़ रुपये और गैर-योजना के तहत 3.15 करोड़ रुपये) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने वर्ष के दौरान अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग किया।

ग. प्रबंधन पत्र

कमियां, जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

क. जहां तक यह दिनांक 31 मार्च 2012 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे की आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से

ह./
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(सेन्ट्रल), लखनऊ

स्थान: इलाहाबाद
दिनांक: 5.10.2012

अनुबंध

1. **आन्तरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता**

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षण मानक के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

2. **आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

लेखा परीक्षा करते समय आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई कमी नहीं देखी गई थी।

3. **अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2011-12 के लिए अचल सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन मई 2012 में किया गया था।

4. **माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2011-12 के लिए माल-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन मई 2012 में किया गया था।

5. **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता**

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान किया था।

ह./
लेखापरीक्षा निदेशक (सेन्ट्रल)
दिनांक : 4.10.2012

ए एन के एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
यूनिट नं. 6, द्वितीय तल, अरावली शॉपिंग सेन्टर, अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019. दूरभाष: 26027120, 30827001

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महानिदेशक,
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

हमने 31 मार्च 2012 को यथा स्थिति **वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्था के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा-परीक्षा करने के मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा-परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त है या नहीं। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखा-परीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हम सूचित करते हैं:

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
2. हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।
3. हमारी राय में इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं;

    i. जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2012 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है।
    ii. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है, और
    iii. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान की प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

कृते: एएनके एण्ड एसोसिएट्स (एफआरएन 003652एन)

सनदी लेखाकार
नीरज कुमार
सदस्यता सं. 082901
साझेदार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2012

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31 मार्च 2012 को यथास्थिति तुलनपत्र

देयताएं	अनु.	31.03.2012 के अनुसार आंकड़े	31.03.2011 के अनुसार आंकड़े
पूंजीगत निधि	1	7,67,80,694.25	9,51,65,894.06
विकास निधि	2	5,18,57,556.54	3,95,65,406.64
आरक्षित एवं अधिशेष	3	1,28,83,265.90	82,87,072.00
उद्दिष्ट निधि	4	4,22,25,908.00	2,82,08,196.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	78,77,549.84	4,31,41,436.64
योग		**19,16,24,974.53**	**21,43,68,005.34**
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां (निवल ब्लॉक)	6	7,64,88,368.00	8,69,74,007.00
निवेश : उद्दिष्ट निधि	7	5,75,20,899.61	8,28,71,242.85
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	8	5,76,15,706.92	4,45,22,755.49
योग		**19,16,24,974.53**	**21,43,68,005.34**

महत्वपूर्ण लेखाा नीतियां,
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियां 18
जो सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृते ए एन के एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003652 एन)

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
नीरज कुमार	**हर्ष सिंह रावत**	**वी.के. शर्मा**	**वी.पी. यजुर्वेदी**
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2012

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

ब्यौरे	अनु.	31.03.2012 के अनुसार आंकड़े	31.03.2011 के अनुसार आंकड़े
आय			
सहायता अनुदान	9	7,48,21,086.00	6,74,00,613.00
फीस एवं अंशदान	10	1,60,39,478.00	1,08,42,206.00
अर्जित ब्याज	11	1,68,903.00	681.00
अन्य आय	12	81,37,494.00	77,03,958.00
पूर्व अवधि आय	13	43,01,542.00	4,98,106.00
जोड़ (क)		**10,34,68,503.00**	**8,64,45,564.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	3,86,02,963.00	3,02,44,922.00
प्रशासनिक व्यय	15	1,99,54,660.60	2,39,71,582.00
पूर्व अवधि व्यय	16	12,419.00	15,60,869.00
योजना अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	17	4,44,45,278.90	3,11,72,299.00
जोड़ (ख)		**10,30,15,321.50**	**8,69,49,672.00**
मूल्यह्रास से पूर्व आय से अधिक व्यय **(क-ख)**		4,53,181.50	(5,04,108.00)
घटाएं :			
मूल्यह्रास	6	1,21,67,053.00	1,36,85,496.00
शेष, जिसे घाटे के कारण पूंजी निधि में ले जाया गया		**(1,17,13,871.50)**	**(1,41,89,604.00)**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृते ए एन के एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003652 एन)

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
नीरज कुमार	**हर्ष सिंह रावत**	**वी.के. शर्मा**	**वी.पी. यजुर्वेदी**
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2012

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान संबंधी लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2011	प्राप्तियां	राशि (रुपये में) 31.03.2012	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2011	भुगतान	राशि (रुपये में) 31.03.2012
	अथशेष			**व्यय**	
9,762.95	हस्तगत रोकड़	55,090.95	3,02,44,922.00	स्थापना व्यय	3,49,29,949.00
	बैंक में शेष		2,55,28,871.00	प्रशासनिक खर्चे	1,91,41,705.60
1,79,27,321.00	चालू खाते में	19,49,976.00	3,11,72,299.00	योजना अनुदान का उपयोग	3,28,53,042.90
44,38,977.47	बचत खाता-परियोजना	45,05,434.54	-	पूर्व अवधि व्यय	48,414.00
-	परिक्रामी निधि	10,75,494.17	-	पूर्वप्रदत्त व्यय	9,78,956.00
4,71,95,393.96	जमा खाते में	4,52,86,064.40	-	परिक्रामी निधियां	10,75,494.17
-	पूर्व अवधि जमा	28,10,480.00			
	पूर्व अवधि चालू खाता	6,05,012.20		अचल परिसम्पत्तियां	16,93,411.00
36,217.00	हस्तगत डाकटिकट	36,217.00	43,73,387.00	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से की गई अदागियां	
	प्राप्त अनुदान				66,14,169.00
7,17,74,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	7,65,00,000.00		अन्य परियोजना व्यय	19,29,296.40
26,98,026.00	अन्य एजेंसियों से	98,93,725.00	2,19,69,352.56		
6,39,560.00	बाहरी कार्यक्रमों के लिए प्राप्तियां	8,48,492.00	2,89,650.00		
	प्राप्त ब्याज			कर्मचारियों को अग्रिम	4,50,216.00
35,67,063.54	बैंक में जमा	27,40,767.60			
681.00	दाण्डिक ब्याज	-		स्टाफ/दूसरे संस्थानों से वसूली का प्रेषण	43,817.00
-	वाहन अग्रिम	1,02,465.00			
-	ब्याजः परियोजना लेखा	1,84,107.13	6,58,189.00		
1,08,42,206.00	फीस/अंशदान	1,38,10,059.00		अन्य भुगतान	
82,02,064.00	अन्य आय	81,37,494.00	90,53,273.00	व्यय देय	11,59,412.00
-	पूर्व अवधि आय	22,99,241.00		जमा प्रतिभूति की वापसी	81,000.00
				ईएसआईसी को अग्रिम	1,78,24,297.00
	अग्रिमों की वसूली		-	पेशगी (स्टाफ)	1,13,525.00
94,51,627.00	स्टाफ से	2,44,636.00	6,77,536.00		
				अन्तशेष	
	अन्य प्राप्तियां		55,090.95	हस्तगत रोकड़	23,264.95
-	प्राथयोग्य बिल	9,39,000.00		बैंक में शेष	
-	सीपीडब्ल्यूडी से वापसी	78,24,297.00	19,49,976.00	चालू खाता	26,18,181.30
92,857.00	जमा प्रतिभूति	5,46,374.00	55,80,929.01	बचत खाता-परियोजनाएं	79,69,097.67
-	पुस्तकालय पुस्तकों से वसूली	11,997.00	4,52,86,064.40	जमा खाता	5,08,37,312.00
			36,217.00	हस्तगत डाक टिकट	21,863.00
17,68,75,756.92	**जोड़**	**18,04,06,423.99**	**17,68,75,756.92**	**जोड़**	**18,04,06,423.99**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनार्थ पुनर्वर्गीकृत किया गया है

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृते ए एन के एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003652 एन)

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
नीरज कुमार	**हर्ष सिंह रावत**	**वी.के. शर्मा**	**वी.पी. यजुर्वेदी**
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2012

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2011	प्राप्तियां	राशि (रुपये में) 31.03.2012	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2011	भुगतान	राशि (रुपये में) 31.03.2012
	अथशेष		4,165,638.00	कर्मचारियों द्वारा आहरित	1,115,871.24
38,626.00	आईओबी–बचत खाता	42,954.05	1,104,633.00	कर्मचारियों को प्रदत्त संस्थान के हिस्से के द्वारा	1,533,487.20
-	कारपोरेशन बैंक–फ्लेक्सी खाता	698,207.79	336,371.00	स्टाफ को प्रदत्त अग्रिम	1,809,000.00
4,328.00	बचत खाते से प्राप्त ब्याज	48,682.00	-	कर्मचारियों द्वारा आहरित ब्याज (सीपीएफ)	1,907,043.76
1,739,657.00	एफडीआर से प्राप्त ब्याज	3,527,011.00	-	कर्मचारियों द्वारा आहरित ब्याज (संस्थान)	1,145,483.80
3,773,687.00	स्टाफ अभिदान	3,736,357.00	-	कर्मचारियों द्वारा अंतिम आहरण	20,432,143.00
1,272,629.00	संस्थान का अंशदान	1,226,304.00	-	एनपीएस अंशदान	22,231,432.00
906,858.00	अग्रिम की वसूली	695,736.00	40,243,797.00	कारपोरेशन बैंक–एफडीआर	-
38,504,140.00	आईओबी–भुनाई गई एफडीआर	40,243,797.00	-	बैंक प्रभारों द्वारा	100.00
				अंतशेष	
			42,954.00	आईओबी बचत खाता	82.05
			346,532.00	कारपोरेशन बैंक–फ्लेक्सी खाता	44,405.79
46,239,925.00	**योग**	**50,219,048.84**	**46,239,925.00**	**योग**	**50,219,048.84**

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृते ए एन के एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003652 एन)

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
नीरज कुमार	**हर्ष सिंह रावत**	**वी.के. शर्मा**	**वी.पी. यजुर्वेदी**
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2012

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 1 पूंजी निधि

		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार आंकड़े	31.03.11 की स्थिति के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष		9,51,65,894.06	10,49,82,111.06
पूर्ववर्ती वर्ष के समायोजन		2,28,924.69	-
जोड़ें: पूंजी निधि के संबंध में अंशदान		(85,79,167.00)	
योजना अनुदानों से	16,78,914.00		
गैर-योजना अनुदानों से	-	16,78,914.00	43,73,387.00
घटाएं: आय से अधिक व्यय को		(1,17,13,871.50)	(1,41,89,604.00)
जोड़		**7,67,80,694.25**	**9,51,65,894.06**

अनुसूची 2 विकास निधि

वर्ष के आरम्भ में शेष	3,95,65,406.64	4,15,02,304.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	85,79,167.00	-
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज	37,11,608.90	34,07,382.00
जोड़ें : एस.बी. खाते पर ब्याज	1,374.00	1,204.00
घटाएं: पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान समायोजित ब्याज हेतु अधिक प्रावधान	-	(53,45,483.36)
जोड़	**5,18,57,556.54**	**3,95,65,406.64**

अनुसूची 3 आरक्षित एवं अधिशेष

परिक्रामी निधि		
क. परिक्रामी एचबीए निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	24,92,384.84	22,50,918.00
जोड़ें : बैंक एसबी एवं एफडीआर से अर्जित ब्याज	85,445.00	35,575.00
जोड़ें : स्टाफ से एचबीए पर ब्याज	1,69,871.00	-
जोड़ें: स्टाफ से वसूला गया	-	2,05,891.84
जोड़ें: पूर्ववर्ती वर्ष के लेन-देनों को	17,60,918.09	-
जोड़ (क)	**45,08,618.93**	**24,92,384.84**
ख. परिक्रामी कम्प्यूटर निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	3,86,312.00	3,32,941.00
जोड़ें : बैंक से प्राप्त ब्याज	12,975.00	10,635.00
जोड़ें : कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज	32,033.00	8,532.00

		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार आंकड़े	31.03.11 की स्थिति के अनुसार आंकड़े
जोड़ें : कर्मचारियों से वसूले गए		16,965.00	39,964.00
घटाएं: पूर्व वर्ष के समायोजनों को		(42,735.70)	(5,760.00)
जोड़ (ख)		**4,05,549.30**	**3,86,312.00**
ग. परियोजना निधि			
वर्ष के आरंभ में शेष		54,08,375.16	45,33,385.16
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त		98,91,725.00	26,63,879.00
जोड़ें : बैंक से प्राप्त ब्याज		1,84,107.13	1,12,268.00
पूर्ववर्ती वर्ष के समायोजनों को		(16,50,232.62)	-
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय, यदि कोई हो		(58,64,877.00)	(19,01,157.00)
जोड़ (ग)		**79,69,097.67**	**54,08,375.16**
(जोड़ (क+ख+ग)		**1,28,83,265.90**	**82,87,072.00**

अनुसूची-4 उद्दिष्ट निधि (चल रहा कार्य)

वर्ष के आरम्भ में शेष		2,82,08,196.00	3,22,25,908.00
जोड़ें : पूर्ववर्ती वर्ष की राशि		40,17,712.00	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान की अग्रिम राशि		1,00,00,000.00	-
		4,22,25,908.00	3,22,25,908.00
घटाएं : वर्ष के दौरान निपटाई गई राशि		-	40,17,712.00
जोड़		**4,22,25,908.00**	**2,82,08,196.00**

अनुसूची 5 चालू देयताएं एवं प्रावधान

क. चालू देयताएं			
ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति		4,14,935.00	7,37,330.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताओं को		72,57,400.00	16,82,755.00
जोड़ (क)		**76,72,335.00**	**24,20,085.00**
ख. प्रावधान			
सेवानिवृत्ति पर देय-सांविधिक देयताएं		2,05,214.84	4,07,21,351.64
जोड़ (ख)		**2,05,214.84**	**4,07,21,351.64**
जोड़ (क+ख)		**78,77,549.84**	**4,31,41,436.64**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 6 अचल परिसम्पतियां

विवरण	01.04.11 के अनुसार मूल्यह्रास		03.10.11 तक	03.10.11 के बाद वृद्धि	वर्ष के दौरान हटाना	31.03.12 के अनुसार जोड़	मूल्यह्रास की राशि	31.03.12 के अनुसार मूल्यह्रास
भूमि *	0%	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	5,57,56,844	-	-	-	5,57,56,844	55,75,684	5,01,81,160
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	61,46,325	2,500	-	-	61,48,825	6,14,883	55,33,942
उपकरण	15%	1,35,45,174	-	-	-	1,35,45,174	20,31,776	1,15,13,398
वाहन	15%	10,20,995	-	-	-	10,20,995	1,53,149	8,67,846
पुस्तकालय की पुस्तकें	25%	87,37,534	72,225	22,461	11,997	88,20,223	22,02,248	66,17,975
कम्प्यूटर	60%	17,67,135	8,71,216	21,009	-	26,59,360	15,89,313	10,70,047
वेबसाइट का विकास (चल रहा कार्य)	0%	-	-	7,04,000	-	7,04,000	-	7,04,000
		8,69,74,007	**9,45,941**	**7,47,470**	**11,997**	**8,86,55,421**	**1,21,67,053**	**7,64,88,368**

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केन्द्र सरकार को दान में दिया गया था इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

अनुसूची 7 निवेश: उद्दिष्ट निधियां

	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
क. अंशदायी भविष्य निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंक : एफडीआर	-	3,29,91,648.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	-	58,25,588.93
इंडियन ओवरसीज बैंक : एस.बी. खाता	82.05	42,954.05
कार्पोरेशन बैंक : एसबी खाता	44,405.79	-
एचबीए निधि से प्राप्य राशि	1,60,727.00	-
कर्मचारियों को अग्रिम	-	18,61,161.30
जोड़ (क)	**2,05,214.84**	**4,07,21,352.28**

ख. विकास निधि		
सावधि जमा खाते	4,22,58,145.00	3,95,30,290.40
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	85,79,167.00	
(टीडीएस सहित)	15,27,714.30	-
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	36,490.24	35,116.24
जोड़ (ख)	**5,24,01,516.54**	**3,95,65,406.64**
ग. परिक्रामी एचबीए निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर	26,44,744.00	4,53,721.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	1,118.00	-
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	36,655.93	8,65,997.93
वापसीयोग्य अधिक राशि	(10,679.00)	
सीपीएफ निधि में देय राशि	(1,60,727.00)	-
कर्मचारियों को एचबीए अग्रिम	19,97,507.00	9,21,189.00
जोड़ (ग)	**45,08,618.93**	**22,40,907.93**
घ. परिक्रामी कम्प्यूटर निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	3,62,791.30	3,24,900.00
कर्मचारियों को कम्प्यूटर अग्रिम	42,758.00	18,676.00
जोड़ (घ)	**4,05,549.30**	**3,43,576.00**
	5,75,20,899.61	**8,28,71,242.85**

अनुसूची 8 चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम

क. चालू परिसम्पत्तियां		
(क) नकदी एवं बैंक शेष		
हस्तगत नकदी	23,264.95	55,090.95
बैंक में शेष		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	26,18,181.30	8,72,518.00
इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडीआर में		53,02,053.00
डाक खाता	21,863.00	36,217.00
जोड़ (क)	**26,63,309.25**	**62,65,878.95**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 8 चालू परिसम्पतियां, ऋण एवं अग्रिम

(ख) परियोजना खाता	31.03.2011 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	31.03.2012 के अनुसार आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक में एसबी खातों में					
एनआरसीसीएल खाता - 4475	8,428.46	5,28,000.00	4,572.00	4,04,067.00	1,36,933.46
एफसीएनआर खाता - 10500	68,659.00	21,48,103.00	24,581.00	12,77,548.00	9,63,795.00
आईएलओ नेटवर्किंग - 11015	79,165.00	-	3,098.00		82,263.00
आईएलओ-उत्तम कार्य के लिए शिक्षा शास्त्रीय सामग्री - 11959	1,18,646.00	-	4,643.00	-	1,23,289.00
आईएलओ-इंडस बाल श्रम परियोजना 12726	15,568.00	-	589.00	-	16,157.00
आईएलओ-एचआईवी/एड्स की रोकथाम (पार्ट-IV) 12813	4,35,513.00	4,36,692.00	13,984.00	5,51,421.00	3,34,768.00
समुद्र पारीय कार्य मंत्रालय-कौशल विकास प्रणाली - 13409	14,712.00	-	575.00	1,663.00	13,624.00
श्र. एवं रो.मं.-एमसीएलपी का मूल्यांकन - 13004	14,58,243.00	-	38,882.00	7,44,544.00	7,52,581.00
आईओसीएल-श्रम उपलब्धता पर अध्ययन - 13798	2,69,469.00	-	6,966.00	1,31,887.00	1,44,548.00
ग्रा.वि.मं.-नरेगा परियोजना - 13613	153.00	-	(152.00)	-	1.00
श्र. एवं. रो. मं. 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन 14518	8,56,350.00	-	11,825.00	8,68,175.00	-
ज.जा.का.मं.-दक्षिण एशिया में जनजातीय महिला प्रवास. - 14517	8,88,100.00	-	25,456.00	8,29,699.00	83,857.00
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : प्रबंधन समीक्षा वीटीआईपी विश्व बैंक - 14684	-	13,67,100.00	14,097.00	10,35,384.00	3,45,813.00
रोजगार पर लोगों को सूचना - 14685	-	13,50,000.00	21,600.00	7,19,781.00	6,51,819.00
बचत खाता : सिंडिकेट बैंक					
यूएनडीपी-सामाजिक सुरक्षा - 8980	2,15,407.08	-	8,630.13	-	2,24,037.21
कॉरपोरेशन बैंक बचत खता में :					
आईएलओ संपरिवर्तन - 120004	-	4,11,000.00	-	-	4,11,000.00
वीवीजीएनएलआई परामर्शी परियोजना	-	1,000.00	-	-	1,000.00
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि	-	1,000.00	-	-	1,000.00
एमओआरडी, भारत में ग्रामीण कामगार - 120003	-	36,50,830.00	-	-	36,50,830.00
एमओएचयूपीए - शहरी गरीबी उन्मूलन - 2663	77,021.00	-	4,761.00	50,000.00	31,782.00
जोड़ (ख)	**45,05,434.54**	**98,93,725**	**1,84,107.13**	**66,14,169.00**	**79,69,097.67**
जोड़ (क) (क+ख)	**1,07,71,313.49**				**1,06,32,406.92**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 8 चालू परिसम्पतियां, ऋण एवं अग्रिम जारी...

	31.03.2011 के अनुसार आंकड़े	अग्रिम वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त	31.03.2012 के अनुसार आंकड़े
ख. ऋण एवं अग्रिम				
क. कर्मचारियों को				
त्यौहार अग्रिम	57,300.00	75,000.00	86,400.00	45,900.00
साईकिल अग्रिम	4,100.00	3,000.00	4,800.00	2,300.00
कार अग्रिम	5,53,000.00	1,50,298.00	3,14,400.00	3,88,898.00
स्कूटर अग्रिम	45,233.00	58,168.00	46,912.00	56,489.00
एलटीसी अग्रिम	2,144.00	7,43,553.00	3,91,337.00	3,54,360.00
जोड़ (क)	**6,61,777.00**	**10,30,019.00**	**8,43,849.00**	**8,47,947.00**
ख. दूसरी एजेंसियों को				
के.लो.नि.वि. को अग्रिम-योजना 1996-97	9,26,516	-	-	9,26,516
के.लो.नि.वि. को अग्रिम-योजना 1998-99	2,38,693	-	-	2,38,693
के.लो.नि.वि. को अग्रिम -योजना 1999-2000	1,00,000	-	-	1,00,000
के.लो.नि.वि. को अग्रिम -योजना 2000-01	33,76,213	-	-	33,76,213
के.लो.नि.वि. को अग्रिम -योजना 2003-04	10,00,000	-	10,00,000	-
के.लो.नि.वि. को अग्रिम -योजना 2004-05	5,80,010	-	5,80,010	-
के.लो.नि.वि. को अग्रिम -योजना 2005-06	1,00,00,000	-	62,44,287	37,55,713
के.लो.नि.वि. को अग्रिम -योजना 2009-10	15,27,750	-	-	15,27,750
ईएसआईसी को अग्रिम-योजना 2010-11	1,41,42,712	-	-	1,41,42,712
ई.एसआईसी को अग्रिम-योजना 2011-12	-	1,78,24,297	-	1,78,24,297
जोड़ (ख)	**3,18,91,894**	**1,78,24,297**	**78,24,297**	**4,18,91,894**
जोड़ (ख) (क+ ख)	**3,25,53,671**	**1,88,54,316**	**86,68,146**	**4,27,39,841**
ग. अन्य अग्रिम				
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम			1,99,992.00	2,70,833.00
व्यय (प्राप्तियां) : बाह्य अभिकरणों की विविध परियोजनाएं			(7,43,733.00)	9,26,938.00
स्रोत पर काटा गया टीडीएस			11,3,121.00	-
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)			4,000.00	-
विभागीय अग्रिम (पी)			1,09,525.00	-
प्राप्य बिल			25,55,598.00	-
पूर्वदत्त खर्चे			9,78,956.00	-
जोड़ (ग)			**42,43,459.00**	**11,97,771.00**
जोड़ (क+ख +ग)			**5,76,15,706.92**	**4,45,22,755.49**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 9 सहायता अनुदान

	31.03.2012 की स्थिति अनुसार आंकड़े	31.03.2011 की स्थिति अनुसार आंकड़े
गैर-योजना		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से)	3,15,00,000.00	3,68,99,000.00
योजना		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से)	4,05,00,000.00	3,03,75,000.00
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय–एन.ई. से)	45,00,000.00	45,00,000.00
जोड़	**7,65,00,000.00**	**7,17,74,000.00**
घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान	16,78,914.00	43,73,387.00
आय एवं व्यय खाते में दर्शायी गई राशियां	**7,48,21,086.00**	**6,74,00,613.00**

अनुसूची 10 फीस एवं अभिदान

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	1,59,74,278.00	1,07,91,056.00
अवार्ड डाइजेस्ट अभिदान	21,400.00	21,085.00
श्रम एवं विकास अभिदान	15,125.00	10,750.00
श्रम कानून-शब्दावली की बिक्री से आय	9,645.00	12,500.00
श्रम विधान के अभिदान	12,600.00	2,915.00
अन्य पुस्तकों की बिक्री से आय	6,430.00	3,900.00
	1,60,39,478.00	**1,08,42,206.00**

अनुसूची 11 अर्जित ब्याज

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	1,68,903.00	-
दाण्डिक ब्याज	-	681.00
	1,68,903.00	**681.00**

अनुसूची 12 अन्य आय

योजना आय	29,50,425.00	28,20,985.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	49,77,956.00	45,25,700.00
निविदा फार्मों की बिक्री	51,050.00	43,400.00
फोटोस्टेट से आय	90,027.00	93,484.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री से	-	1,53,381.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया-लाइसेंस शुल्क	68,036.00	67,008.00
जोड़	**81,37,494.00**	**77,03,958.00**

अनुसूची 13 पूर्वअवधि आय

पूर्व अवधि आय	43,01,542.00	4,98,106.00
	43,01,542.00	**4,98,106.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 14 स्थापना व्यय

	31.03.2012 की स्थिति अनुसार आंकड़े	31.03.2011 की स्थिति अनुसार आंकड़े
कर्मचारियों को वेतन	2,63,13,070.00	2,31,00,893.00
भत्ते एवं बोनस	28,05,690.00	29,56,402.00
सी.पी.एफ में अंशदान	26,29,739.00	13,15,662.00
एनपीएस में अंशदान	21,18,065.00	-
कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत्त लाभ	33,50,553.00	18,87,738.00
प्रतिनुक्ति पर गये स्टाफ हेतु छुट्टी वेतन	8,55,047.00	2,34,222.00
एमएसीपी की बकाया राशियां (छठे के.वे.आ.)	5,30,799.00	7,50,005.00
जोड़	**3,86,02,963.00**	**3,02,44,922.00**

अनुसूची 15 प्रशासनिक व्यय

बिजली एवं पॉवर प्रभार	51,46,859.00	47,69,341.00
जल प्रभार	3,38,139.00	3,88,694.00
बीमा	77,209.00	86,692.00
मरम्मत और रखरखाव		
क. कम्प्यूटर	35,270.00	34,730.00
ख. कूलर/ए.सी.	2,63,440.00	2,67,314.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	1,03,399.00	5,72,437.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	2,71,257.00	2,64,691.00
डाक तार और संचार प्रभार	38,864.00	1,62,502.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	14,943.10	4,93,195.00
यात्रा और सवारी व्यय	7,25,890.00	12,04,738.00
स्टाफ कल्याण व्यय	83,130.00	67,128.00
विज्ञापन और प्रसार	1,23,356.00	1,31,621.00
विविध व्यय	1,76,447.50	1,48,549.00
परिसर का रखरखाव	29,35,388.00	41,71,334.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	5,04,672.00	7,17,166.00
हिन्दी प्रोत्साहन व्यय	59,409.00	48,800.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	7,01,171.00	18,04,093.00
शिक्षा-प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	78,03,248.00	69,70,951.00
हॉस्टल रखरखाव व्यय	-	15,52,763.00
लेखापरीक्षा शुल्क (पीएजी यूपी)	1,77,300.00	-
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	3,75,269.00	1,11,263.00
जोड़	**1,99,54,660.60**	**2,39,68,002.00**
बट्टे-खाते डाली गई स्थायी परिसंपत्तियां	-	3,580.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**1,99,54,660.60**	**2,39,71,582.00**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	-	2,02,541.00
सकल जोड़	**1,99,54,660.60**	**2,41,74,123.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 16 पूर्व अवधि व्यय

	31.03.2012 की स्थिति अनुसार आंकड़े	31.03.2011 की स्थिति अनुसार आंकड़े
पूर्व अवधि व्यय	12,419.00	15,60,869.00
	12,419.00	**15,60,869.00**

अनुसूची 17 योजना अनुदानों पर व्यय

क. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	67,82,657.00	72,20,626.00
शिक्षा कार्यक्रम	1,05,94,484.00	1,00,16,284.00
ग्रामीण कार्यक्रम	30,63,644.90	32,78,032.00
सूचना प्रौद्योगिकी	23,89,011.00	16,82,033.00
परिसर सेवाएं	75,27,815.00	39,62,286.00
जोड़ (क)	**3,03,57,611.90**	**2,61,59,261.00**
ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/ परियोजनाएं		
शिक्षा कार्यक्रम	28,97,806.00	25,66,603.00
परियोजनाएं (जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी/ अवसंरचनाएं/प्रकाशन शामिल हैं)	15,63,929.00	19,42,470.00
जोड़ (ख)	**44,61,735.00**	**45,09,073.00**
ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना		
पत्र/पत्रिकाओं को अभिदान	12,84,307.00	19,54,599.00
पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	82,689.00	23,95,815.00
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	8,82,670.00	1,15,383.00
	22,49,666.00	44,65,797.00
घटाएं : पूर्वप्रदत्त खर्चों के टीएफडी को	9,44,820.00	-
जोड़ (ग)	**13,04,846.00**	**44,65,797.00**
घ. अवसंरचना		
सीवर कार्य : आवासीय ब्लॉक	-	2,09,014.00
हॉस्टल ब्लॉक : नवीकरण : ईएसआईसी को अग्रिम	1,00,00,000.00	-
जोड़ (घ)	**1,00,00,000.00**	**2,09,014.00**
जोड़ योजना व्यय (क से घ)	**4,61,24,192.90**	**3,53,43,145.00**
घटाएं : पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	16,78,914.00	41,70,846.00
	16,78,914.00	41,70,846.00
आय एवं व्यय खाते में राशियों का अन्तरण	**4,44,45,278.90**	**3,11,72,299.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखों का लेखा की अनुसूचियां

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

अनुसूची सं. 18 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1 वित्तीय औचित्य के मानक

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जैसा कि वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसे स्वायत्त संस्था के लिए निर्धारित है, पालन किया जाता है।

2 वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बताई गई सीमा के और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा एवं तुलनपत्र शामिल हैं।

3 अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पतियां ऐतिहासिक लागत पर व्यय मूल्यह्रास पर बताई गई हैं। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4 मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मूल्य ह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	25%
कम्प्यूटर एवं सहायक यंत्र	60%

5 पूर्व अवधि समायोजन

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोदभूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

6 सम्पत्तिसूची

सम्पत्ति सूचियां, जिसमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, राजस्व लेखा में प्रभारित हैं।

7 कर्मचारी हितलाभ

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

8. पूर्व अवधि मदें

आय/व्यय एवं परिसम्पत्तियों/देयताओं से संबंधित पूर्व अवधि मदों को संबंधित लेखा शीर्षों के तहत चालू वर्ष में प्राप्त किया है। 2,31,424.69 रुपए की राशि को पूर्ववती वर्षों का समायोजन होने से पूंजी निधि मे क्रेडिट किया गया है।

9. आयकर विवरणी

संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान 31.03.10 और 31.03.201, को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की है।

संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

10. आगे ले जाया गया अधिशेष

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजना एवं गैर-योजना कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया गया है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्य के लिए निर्धारित निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी नहीं हुई थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

11. आकस्मिक देयताएं

क. संस्थान की आयकर अधिनियम, 1961 के टीडीएस उपबंध के तहत ब्याज एवं अर्थदण्ड के संबंध में 2,50,082.00 रुपए की आकस्मिक देयता है। मामला आयकर आयुक्त (अपील) गाजियाबाद के पास अपील में लंबित है।

12. संस्थान ने 31.03.2012 तक की अवधि के लिए 167,46,411.00 रुपए राशि की देय उपदान के लिए प्रावधान किया है।

13. संस्थान ने 31.03.2012 तक की अवधि के लिए 122,31,689.00 रुपए राशि की देय अर्जित छुट्टी के संबंध में प्रावधान नहीं किया है।

14. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत/पुनः समुहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के लिए हस्ताक्षरित

कृते एएनके एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (003652एन)

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
नीरज कुमार	**हर्ष सिंह रावत**	**वी.के. शर्मा**	**वी.पी. यजुर्वेदी**
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2012

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया गया था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया है जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010-11 से संस्थान के लेखे प्राप्ति के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इसमें तदुनसार निम्न को छोड़कर प्रावधान किए गए हैं:

क. केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्त पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति उपदान को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ग. खरीदे गए चल एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. सहायता अनुदान

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान (योजना एवं गैर-योजना) प्राप्त करता है और उपयोजन प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

3. पूंजी एवं राजस्व लेखा

पूंजी स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

4. विविध देनदार और विविध लेनदार

संस्थान, व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है और ऐसी एजेंसियों की ओर से व्यय प्राप्त करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्तियां अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

5. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास

क. अचल सम्पत्तियों को ऐतिहासिक कम मूल्यह्रास पर बताया गया था। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को वित्तीय वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समायोजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया गया है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपए से कम की लागत वाली परिसम्पत्तियों को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

6. परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

7. सरकारी धन का रूकना

संस्थान ने कार्यकारी इंजीनियर के.लो.नि.वि., नौएडा मण्डल को संस्थान में विभिन्न सिविल कार्यों एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों आदि के निर्माण/नवीकरण हेतु 1996-97 से 2009-10 तक के वर्षों के दौरान अग्रिम के रूप में 99,24,885.00 रुपए की राशि अग्रिम में दी थी। उक्त अग्रिम का उपयोग अभी भी के.लो.नि.वि. से प्रतीक्षित है। संस्थान को के.लो.नि. विभाग से उक्त अग्रिम को वसूल करने के लिए कहा गया है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.org